प्रकाशन का 40 वां वर्ष

सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

शैल

निष्पक्ष एवं निर्भीक साप्ताहिक समाचार

ई-पेपर

www.facebook.com/shailshamachar

प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

वर्ष 41 अंक-38 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पंजीकरण एच. पी./93/एस एम एल Valid upto 31-12-17 सोमवार 19-26 सितम्बर 2016 मूल्य पांच रूपए

वीरभद्र संगठन के प्रति आक्रामक क्यों हैं

शिमला/शैल। मुख्यमन्त्री वीरभद्र सिंह पिछले कुछ अरसे से प्रदेश के कांग्रेस संगठन के प्रति लगातार आक्रामक हाते जा रहे हैं। संगठन में नियुक्त सचिवों को लेकर यहां तक कह गये कि कई लोग तो पंचायत के सदस्य बनने के लायक नहीं है। अपने ही चुनाव क्षेत्र शिमला बनाये गये सचिवों को लेकर जिस तरह की प्रतिक्रिया उन्होने दी है उससे आहत होकर इन लोगों ने अपने पदों से त्याग पत्र दे दिया है। वीरभद्र की आक्रामकता से पहले उनके बेटे युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विक्रमादित्य ने भी एक पत्रकार वार्ता में यह कहा था कि चुनाव में टिकट केवल जीत की संभावना रखने वालों को ही दिया जाना चाहिये। इसमें नेताओं का कोटा नहीं होना चाहिये। व्यवहारिक दृष्टि से विक्रमादित्य का यह सुझाव सही है। लेकिन इसके लिये संगठन को लेकर सरकार तक एक ही स्तर का मानदण्ड होना चाहिये।

जब वीरभद्र ने इस बार सत्ता संभालने के बाद विभिन्न निगमों/बांर्डो में नेताओं को नियुक्तियां देना आरम्भ किया था उस समय हाईकमान ने 'एक व्यक्ति एक पद' पर अमल करने का निर्देश दिया था। लेकिन वीरभद्र ने इस सिद्धान्त को मानने से इन्कार कर दिया था। आज विभिन्न सरकारी अदारों में हुई राजनीतिक नियुक्तियों से करीब पचास विधानसभा क्षेत्रों में समान्तर सत्ता केन्द्र स्थापित हो चुके हैं। इन नियुक्तियों के लिये क्षेत्र के विधायक या वहां से अधिकारिक उम्मीवार बने व्यक्ति से कोई राय नहीं ली गई है। कल को यह लोग भी चुनाव टिकट के दावेदारों में शामिल होंगे। राजनीतिक पंडितो के मुताबिक युवा कांग्रेस के अध्यक्ष विक्रमादित्य का सुझाव इसी संदर्भ में आया है। वीरभद्र ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है कि संगठन में भी पदाधिकारी मनोनयन से नहीं बल्कि चयन से ही बनाये जायेगें।

वीरभद्र की आक्रामकता को लेकर प्रशासनिक और राजनीतिक गलियारों में चर्चा का दौर शुरू हो चुका है। सभी इस आक्रामकता को समझने का प्रयास कर रहे हैं। अधिकांश इस अक्रामकता को वीरभद्र के खिलाफ केन्द्रिय ऐजैन्सीयों सी बी आई और ई डी में चल रही जांच के आईने में देख रहे हैं। इस जांच को रोकने और इसको लेकर दर्ज हो चुकी एफ आई आर को रद्द करवाने के लिये वीरभद्र हर संभव प्रयास कर चुके हैं। लकिन उनको इसमें कोई बड़ी सफलता नहीं मिली है। जांच को लेकर यह स्पष्ट हो चुका है कि अब यह मामले अपने अन्तिम परिणाम तक पहुंचने वाले हैं। इन मामलों में चालान ट्रायल कोर्ट में दायर होगें ही और इसी के साथ पद त्यागने की मांग पूरी मुखरता के साथ सामने आ जायेगी। हाई कमान भी इस स्थिति के आगे बेबस हो जायेगा। वीरभद्र पर पद त्यागने का दबाव बढ़ जायेगा। उस स्थिति में वीरभद्र के सामने केवल दो ही विकल्प रह जायेंगे, या तो वीरभद्र को पद त्यागना पड़ेगा या फिर खुली बगावत करके अदालत के अन्तिम फैंसले तक पद पर बने रहने का साहस दिखाना होगा। क्योंकि अदालत में अन्तिम फैंसला आने में काफी समय लगेगा।

वीरभद्र पहली बार 1983 में मुख्यमन्त्री भी हाईकमान को आंखे दिखाकर ही बने थे। 1993 में भी जब पंडित सुखराम हाई कमान की पसन्द बन गये थे तब भी वीरभद्र ने खुली बगावत के संकेत देकर मुख्यमन्त्री का पद संभाला था। 2012 में भी जब सी डी प्रकरण में आरोप तय होने पर केन्द्र में मन्त्री पद छोड़ना पड़ा था तब भी बगावती संकेतों से ही पार्टी अध्यक्ष पद और फिर मुख्यमन्त्री की कुर्सी हासिल की थी। इस बार भी हाईकमान के एक व्यक्ति एक पद के सिद्धान्त को खुली चुनौति दी है। जब सी बी आई और ई डी के मामले दर्ज किये तब कानूनी दावपेचों का सहारा लेकर मामलों को लम्बा खींचने के प्रयास किये वहीं पर संगठन में भी समानांतर संगठन खड़ा करने के खुले संकेत देते हुये वीरभद्र ब्रिगेड खड़ा कर दिया। ब्रिगेड के खढ़ा करने के साथ ही प्रदेश में जनता और अपने समर्थकों की नब्ज टटोलने के लिये प्रदेश का तूफानी दौरा शुरू कर दिया। इस दौरे के साथ ही सरकार की उपलब्धियों के विज्ञापन जारी होने शुरू हो गये ताकि विपक्ष और विरोधियों को यह संदेश चला जाये कि कभी भी मध्यावधि चुनाव हो सकते हैं। अब जैसे-जैसे वीरभद्र के खिलाफ चल रहे मामले क्लोज़ होने के कगार पर पहुंच रहे हैं वैसे ही पार्टी अध्यक्ष के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सुक्खु के खिलाफ जो आरोप अभी लगे हैं और उनका एक ज्ञापन राजभवन तक भी पंहुचा दिया गया है उसे भी इस रणनीति के साथ जोड़कर देख जा रहा है। इससे यह संकेत उभरतें है कि वीरभद्र की पहली चाल होगी कि पद त्यागना ही पड़ता है तो विद्या स्टोक्स को अपनी जगह बैठाया जाये इसलिये प्रदेश दौरे में उसे अपने साथ रखा जा रहा है। दूसरी चाल पार्टी का अध्यक्ष पद संभालने की होगी ताकि अगले चुनावों में अपनी मर्जी से टिकट बांट सकें। क्योंकि टिकटों में विक्रमादित्य के समर्थकों को ज्यादा से ज्यादा हिस्सा तभी दिया जा सकेगा।

वीरभद्र के राजनीतिक स्वभाव और रणनीति को समझने वाले पूरी तरह जानते हैं कि यदि वह अपनी रणनीति को अमलीजामा न पहना सके तो वह पार्टी से बगावत करने में भी गुरेज नहीं करेंगे। क्योंकि विक्रमादित्य को राजनीति में स्थापित करने के लिये उनके पास और कोई विकल्प नहीं बचा है। लेकिन आज जिस एज और स्टेज पर वीरभद्र खड़े हैं वहां पर यह सब करने के लिये एक टीम चाहिये जो उनके पास नहीं है। इस कार्यकाल में उनके पास भुनाने के लिये कोई उपलब्धि नहीं है। इस बार यह पहले दिन से ही धूमल और अनुराग को कोसते चले आ रहे हैं। इन्हे घेरने के लिये जो भी कदम उठाये उनके परिणाम शून्य रहे। इस बार जिस टीम के सहारे उन्होने प्रशासन चलाया है वह उन्हे वाछित परिणाम नहीं दे पायी है क्योकि अपने भविष्य को सामने रखते हुये उनकी निष्ठायें दूसरी जगह भी बराबर बनी रही हैं। बल्कि जो कुछ जांच ऐजैन्सीयों की पड़ताल के बाद वीरभद्र के खिलाफ खड़ा हो गया है यदि वह सब जनता के सामने सही तरीके से आ गया तो इस परिवार को राजनीति से भी बाहर होने की नौबत आ सकती है। बहरहाल जो मोर्चा वीरभद्र ने संगठन के खिलाफ खोला है वह क्या रंग लाता है इस पर सबकी निगाहें लगी हैं।

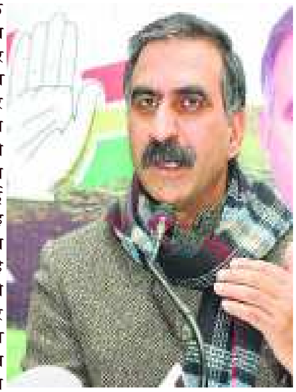

भाजपा सार्वजनिक नहीं कर पायी कथित भर्ती घोटाले की ऑडियो

शिमला/शैल। प्रदेश में एक बार फिर बड़े पैमाने पर भर्ती घोटाला हो रहा है। इस घोटाले के पुख्ता सबूत सिफारसी पत्र औरआडियो भाजपा के पास मौजूद है तथा इस सबको आरोप पत्र तैयार कर रही कमेटी को सौंपा जायेगा। यह भाजपा प्रवक्ताओं विक्रम ठाकुर, महेन्द्र धर्माणी और हिमांशु मिश्रा ने एक सांझे ब्यान में लगाया है प्रवक्ताओं ने दावा किया है कि प्रदेश में सरकारी और अर्द्ध सरकारी नौकरियों की भर्ती में बड़े स्तर पर घोटाला हो रहा है और यह रौंगटे खड़े कर देने वाला है।

भाजपा ने आरोप लगाया है कि शिक्षा, परिवहन निगम, वन विभाग, बैंक व अन्य विभागों में हो रही भर्तीयों में अनियमितताओं की सूचनाएं तो मिल ही रही थी। परन्तु अब पर्यटन विभाग में भी युटिलिटी वर्कर्ज के नाम पर लोग रखे जा रहे हैऔर इसके लिये तय प्रक्रिया को पूरी तरह नजरअंदाज किया जा रहा है। सिफारिशी पत्रों में नौकरियों के साथ-साथ टूरिज्म के होटलों के नाम भी अकिंत है।

भाजपा के इस आरोप पर पलटवार करते हुए कांग्रेस मन्त्रीयों सुधीर शर्मा और कर्ण सिंह ने एक वक्तव्य में भाजपा को चुनौती दी है कि वह उनके पास मौजूद आडियो तथा सिफारिशी पत्रों को तुरन्त प्रभाव से सार्वजनिक करें। मन्त्रीयों ने भाजपा के आरोप को सिरे से खारिज करते हुए धूमल के पहले कार्यकाल 1998 से 2003 के बीच हमीरपुर अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड में हुए भर्ती स्कैम का स्मरण दिलाया जिस पर अब सर्वोच्च न्यायालय भी अब अपनी मोहर लगा चुका है। कांग्रेस मन्त्रीयों ने दावा किया है कि वीरभद्र सरकार के इस कार्यकाल में 60,000 नौकरियां प्रदान की जा चुकी है और इनमें पूरी पारर्शिता बरती गयी है।

भाजपा और कांग्रेस के इन दावों में कितना सच है और भाजपा अपने आरोपों को प्रमाणित करने के लिये क्या कदम उठायेगी इसका खुलासा तो आने वाले दिनों में ही होगा। लेकिन 1993 से 1998 के बीच चिटों पर हुई हजारों भर्तीयों को लेकर धूमल शासन में जो जांच करवाई गयी थी। उस पर निणार्यक और प्रभावी कारवाई भाजपा शासन में क्यों नही हो पायी थी इसका कोई जबाव प्रदेश की जनता के सामने अब तक नही आ पाया है। इस ''चिटों पर भर्ती '' स्कैम को जिस तरह से भाजपा और कांग्रेस ने दबाया है उससे ऐसे मामलों में दोनों दलों की विश्वसनीयता प्रशनित है। आज भी यह आरोप ब्यानों से आगे नही बढ़ेगे यह माना जा रहा है। क्योंकि इस हमाम में दोनों दल बराबर के नंगे हैं।

सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि प्रदेश उच्च न्यायालय ने 2013 में सरकार की कान्ट्रैक्ट पर लगे कर्मचारियों के नियमितीकरण की पालिसी को असंवैधानिक और गैर कानूनी करार देते हुए रद्द कर दिया है। लेकिन इसके बावजूद भी सरकार कान्ट्रैक्ट पर भर्तीयां भी कर रही हैं और उनका नियमितिकरण भी हो रहा है। यह सब प्रदेश उच्च न्यायलय के फैसले की सीधी अवमानना है। प्रदेश के यह दोनों बड़े राजनीतिक दल इस पर मौन साधे हुए है और इसी से इनकी नीयत और नीति का खुलासा हो जाता है।

राज्यपाल का लोगों से गुरू गोबिन्द सिंह जी के जीवन से प्रेरणा का आग्रह

शिमला/शैल। राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने कहा कि गुरू गोबिन्द सिंह जी एक महान त्यागी एवं कुर्बानी के प्रतीक थे, जिन्होंने सच्चाई एवं न्याय की रक्षा के लिए धर्म की स्थापना की। उन्होंने कहा कि आज राष्ट्र इस महान व्यक्तित्व, शूरवीर, अध्यात्मिक गुरू एवं दार्शनिक, जिन्होंने न केवल खालसा पंथ की स्थापना की, बल्कि देश के सम्मान में गौरवमयी इतिहास

स्थापित किया। वह ऐतिहासिक रिज मैदान में श्री गुरू सिंघ सभा द्वारा राज्य सरकार के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित गुरू गोबिन्द सिंह जी की 350वीं जयन्ती के समारोह अवसर पर बोल रहे थे।

आर्चाय देवव्रत ने कहा कि हमें गुरू गोबिन्द सिंह जी के जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए तथा उनका जीवन दर्शन हमें बेहतर समाज के निर्माण में दिशा प्रदान कर सकता है। उन्होंने कहा कि आज मानवता स्वार्थ, संदेह, टकराव, हिंसा, आतंक, अन्याय एवं दमन जैसी चुनौतियों का सामना कर रही है और इस स्थिति में उनकी शिक्षाएं एक मजबूत राष्ट्र के निर्माण में और भी प्रासंगिक हैं। उन्होंने कहा कि उनकी शिक्षाएं सिख इतिहास में अमर निधि है, जो आज भी हम सबको प्रेरित करती है।

उन्होंने कहा कि गुरू गोबिन्द सिंह जी ने विभिन्न जातियों, विभिन्न स्थानों, विभिन्न योग्यताओं से पांच प्यारों का चुनाव करके खालसा पंथ का निर्माण किया। यह कार्य जाति, पेशा तथा रंगभेद जैसी दीवारों से परे सभी लोगों में एकजुटता की भावना उत्पन्न करने की एक अनूठी परिकल्पना थी, जिसका आज के समय में तथा भविष्य के लिए भी भारत के लिए महत्व है।

राज्यपाल ने कहा कि खालसा पंथ ने गुरू गोबिन्द सिंह के सांनिध्य तथा प्रेरणा के अन्तर्गत नैतिक सिद्धांतों को कड़ाई से अपनाया। यह उन्हीं के साहस का नतीजा था कि लोग उस समय भारत में मुगल शासकों के दमन के विरूद्ध खड़े हुए। उन्होंने कहा कि अध्यात्मिक एवं योद्धा होने के साथ–साथ गुरू गोबिन्द सिंह एक उच्च कोटि के लेखक भी थे, जिन्होंने बहुत बड़ा लेखन का कार्य किया।

उन्होंने कहा कि गुरू जी ने धर्म, संस्कृति तथा देश के गौरव के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर दिया और वे इस तरह के बलिदान इतिहास में बड़ी मुश्किल से देखने को मिलते हैं। उन्होंने कहा कि मुगल बादशाह औरंगजेब द्वारा धर्म पर खतरे का तूफान था, जिससे अस्तित्व को खतरा हो गया था, गुरू गोबिन्द सिंह ने समाज को नया दर्शन दिया तथा आध्यत्मिक आजादी हासिल करने के लिए अपने शस्त्र उठाए। उन्होंने कहा कि गुरू गोबिन्द सिंह जी ने शायद सबसे पहले लड़कियों को समान अधिकार तथा बिना किसी भेदभाव के समान समाज की वकालत की थी। उन्होंने कहा कि गुरू गोबिन्द सिंह जी ने न केवल सभी जातियों में भेदभाव को खारिज किया और समानता स्थापित की, बल्कि जनमानस में आत्म–सम्मान एवं स्वाभिमान की भावना भी उत्पन्न की। उन्होंने कहा कि गरीब एवं उपेक्षित लोगों का हमेशा ही ध्यान रखा। इससे पूर्व, राज्यपाल को गुरू सिंघ सभा शिमला द्वारा 'सरौपा' भेंट कर सम्मानित किया गया। गुरू सिंघ सभा के अध्यक्ष जसविन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष जनक सिंह, महासचिव सेवा सिंह तथा संगठन सचिव कंबल जीत सिंह तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

HIMACHAL PRADESH PUBLIC WORKS DEPARTMENT TENDER
TENDER

Sealed item rate tenders on form 6&8 hereby invited by the Executive Engineer ,Palampur Division HP PWD. Palampur on behalf of the Governor of H.P. for the following works from the approved and eligible contractors enlisted in Hp PWD (B&R) whose registration stood renewed as per revised rules and also registered under the H.P. General Sales Tax Act, 1968 so as to reach in his office on or before on 25.10.2016 up to 11:00AM and the same shall be opened on the same day at 11:30 A.M. in the presence of intending contractors or their authorized representatives. The tender documents can be had from his office against cash payment (Non- refundable) on 24.10.2016 up to 4:00PM. And the application for issue of tender form shall be received on 22.10.2016 upto 12:00 noon.

The Earnest Money in the shape of NSC/FDR saving account of the Post office /Bank in H.P. duly pledged in favour of the XEN must accompany with each tender. Conditional/incomplete tenders & tender without earnest money will be summarily rejected. The XEN reserves the right to accept or reject any or all tenders or drop the proposal of tenders without assigning any reasons.

Work No. 1. Construction of Jeepable Link from mahila Mandal Bhawan Lamlehar to Jaswal Dagoiya Basti in G.P. Lamlehar. (S.W:-C/O edge wall at Rd 0/130 to 0/140 7 P/L/ C.C. paving road Rd 0/130 to 0/167.50) (Deposit) **Estimated Cost** Rs. 73,524/- **Earnest Money** Rs. 1500/- **Time Limit** Three Months **Cost of form** Rs. 350/-

Work No 2. Construction of Food Path Lamlehar Basti to Chhruru ward No. 2. (S.W:-C/O P/L Cement concrete foot path km 0/000 to 0/151 (Deposit) **Estimated Cost** Rs. 59,021/- **Earnest Money** Rs. 1200/- **Time Limit** Three Months **Cost of form** Rs. 350/-

Work No. 3. Construction of Jeepable Link from upper Dattel to Ram Dai House ward No. 1 (S.W:-C/O edge wall earth filling and concrete pavement km 0/000 to 0/040) (Deposit) **Estimated Cost** Rs. 1,53,561/- **Earnest Money** Rs. 3100/- **Time Limit** Three Months **Cost of form** Rs. 350/-

TERMS AND CONDTIONS:-

Following documents should accompany the application for tenders.

1. Sale Tax No. with Latest Sales Tax clearance certificate.
2. Valid copy of Registration.
3. Machinery will be of the contractor where required.
4. Certificate regarding possession of machinery.
5. Telegraphic /Fax tenders are not acceptable.
6. The tender documents can be received by registered / Insured post which should be received in this office on or before of date of opening of tender by 11:00 A.M. positively.
7. Contractor wills have to successfully executed two works of similar nature of 1/3 amount of estimated cost or similar single work of amount equal to estimated cost amount of estimated cost during the last preceding three years.
8. The Contractor will have to submit affidavit along with application for issue of tender that he has not more than two works in hand. Next tender will be issued only after completion of previous works in hand.

Adv. No.- 2390/16-17 **HIM SUCHANA AVAM JAN SAMPARK**

भरमौरी ने किया सिसु नर्सरी का औचक निरीक्षण

शिमला/शैल। वन एवं मत्स्य मंत्री ठाकुर सिंह भरमौरी ने अपने 8 दिवसीय पांगी दौरे के दौरान कैलांग वन मण्डल के अन्तर्गत सिसु नर्सरी का औचक निरीक्षण किया। इस नर्सरी में भोजपत्र व देवी दयार की नर्सरी तैयार की जा रही है। उन्होंने भोजपत्र की सफल पौध तैयार करने के लिए नर्सरी स्टाफ की सराहना की व उन्हें सफलता के लिए बधाई दी। उन्होंने इस वन मण्डल के दिहाड़ीदार मज़दूरों को उनका 6 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण करने पर उनकी सेवाएं नियमित करने का आश्वासन दिया। अपने इसी दौरे के दौरान उन्होंने मढ़ी व कोखसर में जन समस्याएं भी सुनी। उन्होंने मौके पर उपस्थित अधिकारियों को लोगों की समस्याओं शीघ्र हल करने के आदेश दिए।

शैल समाचार संपादक मण्डल

संपादक – बलदेव शर्मा
सयुक्त संपादक – जे.पी.भारद्वाज
विधि सलाहकार – ऋचा
अन्य सहयोगी
भारती शर्मा
रजनीश शर्मा
राजेश ठाकुर
सुदर्शन अवस्थी
सुरेन्द्र ठाकुर
रीना

हिमाचल प्रदेश में 30 हजार बीघा से भांग का सफाया

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश की जमीन पर भांग की खेती के कारोबार को नेस्तनाबूद करने के लिए सरकार ने 30 हजार बीघा से भांग उखाड़ने का दावा किया है। प्रदेश के सबसे बड़े अफसर चीफ सेक्रेटरी वी सी फारका ने कहा कि जहां से भी कॉल आएगी, सरकार वहां से भांग उखाड़ने का अभियान चलाएगी। फारका ने कहा जिला सिरमौर के शिलाई व चंबा के तीसा में कांट्रेक्ट फार्मिंग का खुलासा हुआ। वहीं डीजीपी संजय कुमार ने खुलासा किया कि जुलाई तक नशे के बड़े कारोबारियों के मनीलांड्रिंग के तहत 27 लोगों के खिलाफ जांच चल रही है। यहां ये उल्लेखनीय है कि मलाणा में भांग उखाड़ने का काम पुलिस सुरक्षा में किया जा रहा है।

प्रदेश हाईकोर्ट के आदेशों के बाद प्रदेश सरकार के ये बड़े अफसर संकट में हैं। ऐसे में डीजीपी संजय कुमार जानते है कि हाईकोर्ट का डंडा उन पर चलेगा। उन्होंने सरकार का बचाव करते हुए सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि पिछले साल पुलिस महकमे ने सरकार को स्टेट नारकोटिक्स सेल को मजबूत करने और उसका विस्तार करने का खाका भेजा था, जो सरकार के पास विचाराधीन है।

मायने साफ है कि सरकार ने इस दिशा में कुछ नहीं किया और फाइलें सचिवालय में दबी पड़ी है। पुलिस महकमे ने रेंज स्तर पर डीएसपी के पद भरने के अलावा इंटेलीजेंस नेटवर्क को मजबूत करने व स्टाफ को बढ़ाने का प्रस्ताव सरकार को भेजा है। इस प्रस्ताव पर अमलीजामा नहीं पहनाया गया है। डीजीपी बेशक सीधे तौर पर सरकार पर हमला न कर पा रहे हो लेकिन वो कहना यही चाहते है कि बुनियादी ढांचा कमजोर होगा तो कारोबारी पकड़े नहीं जाएंगे।

ये अलग मसला है कि ये प्रस्ताव व्यावहारिक है या नही लेकिन पुलिस महकमे ने इसे सरकार को भेजा है। जाहिर सी बात है कि सरकार के बाबू कागजी कार्यवाही करने में माहिर हैं। उस पर अदालत का दबाव अलग से है। डीजी ने ये भी कहा कि किसी बड़ी गैंग का पता नहीं चला है। इस महीने 51 केस दर्ज किए गए जिसमें दो नेपाली भी शामिल है।

बहरहाल चुनावी साल नजदीक आते और पंजाब में नशे के कारोबार पर मची मारकाट से प्रदेश की वीरभद्र सिंह सरकार खुद को संवेदनशील जाहिर करने की कोशिश में है। सीएम वीरभद्र के सामने पिछले साल ही पुलिस विभाग ने हाथ खड़े कर दिए थे कि वारे अकेले दमपर कुछ नहीं कर सकती और ये अकेले पुलिस विभाग की समस्या नहीं है। इसलिए इस मामले में सोसायटी को आगे आना होगा। इसके साथ ही पुलिस ने स्टाफ भी मांगा था।

सरकार ने स्टाफ तो नहीं दिया लेकिन भांग व अफीम उखाड़ने के लिए अभियान जारी कर दिया। जिसमें महिला मंडलों, युवक मंडलों, पंचायतों, स्वयं सहायता समूहों की सहायता ली गई। अभियान की सफलता पर चीफ सेक्रेटरी फारका ने कहा भी कि महिलाएं इस मामले खुद आगे आईं है व दराटी लेकर उन्होंने भांग की खेती को उखाड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने इन सबकी सराहना की। उन्होंने कहा कि 22 अगस्त से पांच सितंबर तक चले अभियान में डेढ लाख से ज्यादा महिलाओं ने भागीदारी निभाई। सरकार ने अभियान की चंद तस्वीरें भी जारी की। उन्होंने कहा कि हाइब्रीड किस्म की भांग भी उगाई जा रही है। ये कहां से आई इसका पता लगाया जाएगा।

हिमाचल प्रदेश न्यायिक सेवा प्रारम्भिक परीक्षा परिणाम घोषित

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ने हि.प्र. न्यायिक सेवा प्रारम्भिक परीक्षा–2016 का परिणाम घोषित कर दिया है। सिविल जज (जुनियर डिविजन) के सात पद भरने के लिए यह परीक्षा गत 4 सितम्बर को शिमला में आयोजित की गई थी। परीक्षा परिणाम आयोग की वैबसाईट ww.hp.gov.inèhppsc पर उपलब्ध है।

हि.प्र. लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के.एस. तोमर ने कहा कि न्यायिक सेवा परीक्षा में प्रवेश के लिए कुल 3631 उम्मीदवारों ने ऑनलाईन आवेदन किया था, जिनमें से 1374 उम्मीदवारों ने परीक्षा में भाग लिया। उन्होंने कहा कि 148 उम्मीदवारों को आगामी 22 अक्तूबर से 26 अक्तूबर, 2016 तक आयोजित की जाने वाली हि.प्र. न्यायिक सेवा (मुख्य) परीक्षा के लिए पात्र एवं उतीर्ण घोषित किया गया है। उन्होंने कहा कि उतीर्ण उम्मीदवारों को मुख्य प्रवेश परीक्षा के लिए हि.प्र. लोकसेवा आयोग निगम बिहार शिमला–2 के परीक्षा हॉल नम्बर–1 में परीक्षा समय सारिणी के अनुसार उपस्थित होने को कहा गया है। उन्होंने कहा कि सिविल लॉ–1 का पेपर 22 अक्तूबर को, सिविल लॉ–2 का 24 अक्तूबर को, क्रिमिनल लॉ का 25 अक्तूबर को तथा इंगलिश कम्पोजिशन का पेपर 26 अक्तूबर, 2016 को प्रातः 10 बजे, जबकि हिन्दी का पेपर 26 अक्तूबर को बाद दोपहर 2 बजे आरम्भ होगा।

उम्मीदवारों को पासपोर्ट साईज फोटो की एक प्रति सहित परीक्षा आरम्भ होने से 30 मिनट पहले परीक्षा केन्द्र पर पहुंचने को कहा गया है। उन्होंने कहा कि उम्मीदवारों को इस संबंध में अलग से सूचना नहीं भेजी जाएगी। इस संबंध में किसी भी जानकारी के लिए लोक सेवा आयोग ने टॉल फ्री नम्बर 1800–180 –8004 पर किसी भी कार्यालय दिवस में प्रातः 10 से सांय 5 बजे के बीच सम्पर्क किया जा सकता है। तोमर ने कहा कि वर्ष 2016 से पहले सिविल जज की नियुक्ति के लिए भर्ती वर्ष में केवल एक बार की जाती थी, लेकिन इस वर्ष से यह परीक्षा वर्ष में दो बार आयोजित की जा रही है। उन्होंने कहा कि 24 अगस्त, 2013 को लोक सेवा आयोग ने टॉल फ्री नम्बर 1800–180–8004 आरम्भ किया था, जिसके माध्यम से सूचना का त्वरित आदान–प्रदान हो रहा है और इस नम्बर के आरम्भ होने से विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रें के उम्मीदवारों को ऑनलाईन आवेदन प्रपत्र भरने में लाभ मिला है।

मुख्यमंत्री श्री गुरू गोबिन्द सिंह की 350वीं जयन्ती समारोह में हुए शामिल

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने श्री गुरू गोबिन्द सिंह की 350वीं जयन्ती पर आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में ऐतिहासिक रिज मैदान पर गुरू ग्रंथ साहिब की पवित्र पालकी का स्वागत किया। इस समारोह का श्री गुरू

सिंघ सभा शिमला तथा प्रदेश सरकार के संयुक्त तत्तावधान में किया जा रहा है। गुरू ग्रंथ साहिब की शोभा यात्रा का शुभारम्भ उपायुक्त कार्यालय से हुआ।

वीरभद्र सिंह ने गुरू गोबिन्द सिंह की 350वीं जयन्ती पर खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें इस आयोजन में सभी धर्मों के लोगों के शामिल होने पर प्रसन्नता हो रही है। उन्होंने कहा कि गुरू गोबिन्द सिंह का पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश के प्रति गहरा लगाव व प्यार था और उन्होंने सिरमौर जिला में यमुना नदी के किनारे सृजनात्मक एवं साहित्यिक लेखन कार्य किया था। उन्होंने कहा कि गुरू गोबिन्द सिंह जी बलिदान व त्याग के प्रेरणा स्रोत हैं, जिन्होंने मानवता व धर्म की रक्षा के लिए कार्य किया था। उन्होंने कहा कि हमें उनके जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए और उनकी शिक्षाओं तथा उन द्वारा दिखाए गए मार्ग का अनुसरण करना चाहिए।

उन्होंने कहा कि गुरू गोबिन्द सिंह की शिक्षाएं आज के संदर्भ में भी प्रासंगिक है और हमें उन द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलकर देश को सुदृढ़ व सशक्त बनाने में कार्य करना चाहिए। उन्होंने न केवल समाज को अध्यात्मिक शिक्षाएं दी, बल्कि युद्ध क्षेत्र में साहस का परिचय दिया बलिदान के लिए प्रेरित किया और अपने बच्चों तक का बलिदान दिया।

इस अवसर पर ऐतिहासिक रिज मैदान पर श्री गुरू गोबिन्द सिंह के जीवन परिचय व शिक्षाओं पर आधारित प्रदर्शनी भी लगाई गई । इसके अलावा अन्य आकर्षणों में पुलिस व आर्मी बैंड का प्रदर्शन, सिख लोगों द्वारा (मार्शल आर्ट गतका) का प्रदर्शन भी किया गया।

इससे पूर्व, गुरू सिंघ सभा के सदस्य, जिनमें गुरू सिंघ सभा के अध्यक्ष जसविन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष जनक सिंह, महासचिव सेवा सिंह और संगठन सचिव कंवलजीत सिंह ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष विक्रमादित्य, हिमाचल प्रदेश राज्य पर्यटन निगम के उपाध्यक्ष हरीश जनारथा, राज्य श्रमिक कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष बावा हरदीप सिंह भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

हिमाचल निवेशकों का सबसे पसंदीदा स्थल बनता जा रहा है : अग्निहोत्री

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश के उद्योग मंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने निवेशकों का आहवान किया है कि वे प्रदेश में विद्यमान निवेश की व्यापक संभावनाओं का लाभ उठाने के लिए आगे आयें। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में निवेशक-मित्र वातावरण बनाने के लिए अनेक कदम उठाये गये हैं और यही कारण है कि आज हिमाचल प्रदेश निवेशकों का सबसे पसंदीदा स्थल बनता जा रहा है।

मुकेश अग्निहोत्री नई दिल्ली में

सीआईआई द्वारा उत्तर क्षेत्र में विद्यमान निवेश की संभावनाओं पर आयोजित एक 'कनक्लेव' में उपस्थित निवेशकों व प्रतिभागियों को सम्बोधित कर रहे थे । इस 'कनक्लेव' को सीआईआई के साथ मिलकर हिमाचल प्रदेश सरकार ने आयाजित किया जिसका मुख्य उद्देश्य प्रदेश में विद्यमान निवेश की संभावनाओं और चुनौतियों पर विस्तार से चर्चा करना था।

हिमाचल में पर्यटन, कृषि, जलविद्युत व बागवानी जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निवेश की विद्यमान व्यापक सम्भानाओं का उल्लेख करते हुए मुकेश अग्निहोत्री ने निवेशकों को अवगत करवाया कि सरकार ने समयबद्ध आधार पर निवेशकों के प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान करने के लिए एक कारगर नीति लागू कर दी है जिसके तहत 45 दिनों के भीतर निर्णय लेना अनिवार्य बनाया गया है । उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था को 'पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट' के तहत लाया गया है ताकि किसी प्रकार की लापरवाही न हो सके। उन्होंने कहा कि इसके लिए अलग से 'निवेशक प्रोत्साहन प्रकोष्ठ' भी गठित किया गया है।

प्रदेश में विद्यमान पर्याप्त व सस्ती विद्युत आपूर्ति, स्वच्छ वातावरण, राजनीतिक स्थिरता तथा निवेशक-प्रिय नीतियां व प्रोत्साहनों के परिणामस्वरूप निवेशकों की पहली पसन्द बनते जा रहे इस प्रदेश में निवेश के लिए आगे आने का आहवान करते हुए, मुकेश अग्निहोत्री ने बताया कि प्रदेश में पहले ही अनेक बड़े प्रतिष्ठित घराने निवेश के लिए आगे आये हैं तथा पिछले तीन वर्षों में रिकार्ड निवेश सम्भव हो पाया है।

मुकेश अग्निहोत्री ने बताया कि यूएनडीपी द्वारा तैयार किये गये मानव संसाधन विकास इनडैक्स के आधार पर हिमाचल प्रदेश को देशभर में तीसरे तथा उत्तर भारत में प्रथम स्थान पर आंका गया है जिससे इस प्रदेश में विद्यमान अधोसंरचनात्मक सुविधाओं और बेहतर सामाजिक-आर्थिक गतिविधियों के कारण बेहतर जीवनस्तर का पता चलता है।

उन्होंने निवेशकों से अनुरोध किया कि इस इस प्रदेश में विकास के भागीदार के रूप में आगे आयें और सरकार यह चाहती है कि वे अपने बहुमूल्य सुझाव सरकार को दें । उन्होंने कहा कि इस उद्देश्य के लिए एक औद्योगिक परामर्श काऊंसिल का गठन भी किया गया है जिसमें उद्योगपतियों को शामिल किया गया है ताकि सरकार को समय समय पर 'फीडबैक' मिल सके।

उद्योग मंत्री ने बताया कि वर्तमान सरकार ने प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए देश के अनेक भागों में 'इनवेस्ट मीट' की हैं जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आये हैं । उन्होंने बताया कि बद्दी में सीआईआई के सहयोग से शीघ्र ही एक 'मैगा इवेन्ट' किया जाएगा जिसमें दुनियाभर के प्रतिष्ठित औद्योगिक घरानों को आमंत्रित किया जाएगा ताकि इस प्रदेश में विद्यमान व्यापक सम्भावनाओं के बारे उन्हें अवगत करवाया जा सके।

हिमाचल प्रदेश राज्य काउंसिल के चेयरमैन संजय खुराना ने इस अवसर पर उपस्थित प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए इस सम्मेलन के उद्देश्य पर प्रकाश डाला तथा इस आयोजन को प्रासंगिक बनाने के लिए प्रदेश सरकार के प्रयासों की सराहना की। इस आयोजन में उत्तरी भारत के बड़े उद्योगपतियों के अलावा प्रदेश के उद्योग विभाग के अनेक बड़े अधिकारियों ने भी भाग लिया ।

लोगों को प्रतिदिन पेयजल उपलब्ध करवाये नगर निगम:विद्या स्टोक्स

शिमला/शैल। सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री विद्या स्टोक्स ने शिमला शहर के विभिन्न क्षेत्रों में पानी की समस्या को लेकर नगर निगम के अधिकारियों के साथ एक बैठक की। स्टोक्स ने प्रशासन को शहर में पेयजल समस्या का शीघ्र समाधान सुनिश्चित बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि लोगों को प्रतिदिन पेयजल उपलब्ध करवाया जाए तथा शहर में की जा रही पेयजल आपूर्ति संबंधी रिपोर्ट प्रतिदिन उपलब्ध करवाई जाए। उन्होंने कहा कि जल एक आधारभूत आवश्यकता है, जिससे लोगों को वंचित नहीं रखा जा सकता। सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य सचिव अनुराधा ठाकुर, आयुक्त नगर निगम शिमला पंकज राय तथा सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य एवं नगर निगम शिमला के वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित थे।

मुख्य सचिव द्वारा स्वच्छता शिकायत निवारण सीआरएमएटी मोबाईल ऐप का शुभारम्भ

शिमला/शैल। मुख्य सचिव वी.सी. फारका ने सचिवालय में स्वच्छता सम्बन्धी शिकायतों तथा इनके निवारण से सम्बन्धित बद्दी-बरोटीवाला नालागढ़ विकास प्राधिकरण (बीबीएनडीए) द्वारा विकसित सिटीजन रिपोस्टिंग एण्ड मैनेजमेंट टूल (सीआरएमएटी) मोबाइल ऐप का शुभारम्भ किया।

फारका ने कहा कि सीआरएमएटी एक शिकायत निवारण ऐप है जो नगर एवं कस्बे की स्वच्छता एवं कचरे के निपटारे से सम्बन्धित मामलों की सुनवाई तथा निवारण के लिए विकसित किया गया है। उन्होंने कहा कि यह ऐप लोगों की सफाई सम्बन्धी समस्याओं के समाधान में कारगर सिद्ध होगा। उन्होंने कहा कि इसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति सम्बन्धित क्षेत्र में कूड़ा कर्कट का फोटो खींच कर इस ऑन-लाईन पोर्टल पर अपलोड कर सकता है।

उन्होंने कहा कि इस ऐप की मुख्य विशेषता यह है कि ऐप लिए गए फोटो के वास्तविक स्थल गांव व क्षेत्र का नाम सहित प्रदर्शित करता है। उन्होंने कहा कि यह ऐप गूगल प्ले स्टोर पर आसानी से उपलब्ध है, जिसे किसी भी स्मार्ट फोन पर डाऊनलोड किया जा सकता है।

फारका ने कहा कि कोई भी व्यक्ति अपने क्षेत्र में स्वच्छता से सम्बन्धित कोई भी फोटो लेकर ऐप पर अपलोड कर सकता है। शिकायत मिलते ही ऐप स्वयं, सम्बन्धित अधिकारी को तुरंत संदेश भेजता है। उन्होंने कहा कि यह पोर्टल स्वच्छता एवं कचरे से सम्बन्धित मामलों के शिकायत निवारण के लिए उचित मंच उपलब्ध करवाता है। उन्होंने कहा कि ऐप स्वच्छता व कचरा से सम्बन्धित मामलों निवारण में ही नहीं बल्कि सड़कों के अवरूद्ध व क्षतिग्रस्त होने की स्थिति तथा अन्य समस्याओं के निवारण में भी सहायक सिद्ध होगा।

बीबीएनडीए के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) ललित जैन ने मुख्य सचिव को सीआरएमएटी ऐप की कार्यप्रणाली के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने इस अवसर पर बीबीएनडीए के विश्राम गृह की ऑनलाइन बुकिंग प्रणाली से भी मुख्य सचिव को अवगत करवाया।

शिमला शहर को अमरूत के तहत सुधारों के लिए पुरस्कार

शिमला/शैल। प्रदेश सरकार के एक प्रवक्ता ने कहा कि शिमला शहर को भारत सरकार द्वारा अमरूत मिशन के तहत वर्ष 2015-16 के लिए सुधार लक्ष्य को पूरा करने के लिए 3.54 करोड़ रुपये का प्रोत्साहन अनुदान प्रदान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि शहरी विकास मंत्री सुधीर शर्मा 30 सितम्बर, 2016 को नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में आयोजित इंडो-सेन 2016 कार्यशाला के दौरान यह प्रोत्साहन अनुदान प्राप्त करेंगे। इस कार्यशाला का शुभारम्भ प्रधानमंत्री करेंगे।

उन्होंने कहा कि शिमला शहर की विस्तृत जांच व स्वयं आकलन रिपोर्ट को भारत सरकार को प्रस्तुत करने के बाद शिमला शहर को भारत सरकार द्वारा इस पुरस्कार के लिए चुना गया है। उन्होंने कहा कि यह शिमला नगर की बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि इस अनुदान को तभी प्रदान किया जाता है, यदि अमरूत योजना के दिशा-निर्देशों के अनुरूप निर्धारित सुधार लक्ष्य को प्राप्त किया हो।

प्रवक्ता ने कहा कि वैबसाइट पर सृजित करने ई-न्यूजलैटर का प्रकाशन, डिजिटल भारत पहल एवं ई-गवर्नेंस के अर्न्तगत स्पोर्टस डिजिटल इंडिया, इंटर्नस के अनुबंध के लिए नीति और कार्यान्वयन, लेखा प्रणाली में सम्पूर्ण दोहरे इन्द्राज का स्थानांतरण, वार्षिक वित्तीय स्टेटमेंट का वैबसाइट पर प्रकाशन, सेवा स्तर सुधार योजना बनाना तथा राज्य वार्षिक कार्य योजना और सार्वजनिक निजी भागीदारी म डल पर पार्कों, खेल मैदानों एवं मनोरंजन क्षेत्रों के रख-रखाव जैसे सुधार लक्ष्य शामिल है। उन्होंने कहा कि राज्य वित्त आयोग की नियुक्ति और शहरी स्थानीय निकायों के 18 कार्यों का हस्तांतरण, समय-समय पर भवन बाई लॉ में संशोधन, भवन निर्माण की अनुमति की सभी स्वीकृतियों के लिए एकल खिड़की स्वीकृति का सृजन, सम्पत्ति कर नीति में समय-समय पर संशोधन करना, लेवी शुल्क व अन्य शुल्कों की वसूली, कर सम्बन्धी पोस्ट डिमांड कोलेक्शन बुक को वैबसाईट पर डालना, विज्ञापन राजस्व क्षमता का पूर्ण दोहन, व्यक्ति तथा संस्थागत आकलन के लिए यूजर चार्जिज की नीति, पानी की क्षति को 20 प्रतिशत से कम करने के लिए कार्य योजना तैयार करना, यूजर चार्जिज के लिए अलग खाता खोलना, स्ट्रीट लाइट, वाटर आडिट, कारगर विद्युत उपकरणों का प्रयोग कर विद्युत खपत में कमी लाना अमरूत के अन्तर्गत अन्य सुधार लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि अमरूत मिशन के दिशा-निर्देशों के तहत सुधार पहलों के लिए पुरस्कार प्रदान किया जाएगा।

संतुलित दिमाग जैसी कोई सादगी नहीं है, संतोष जैसा कोई सुख नहीं है, लोभ जैसी कोई बीमारी नहीं है, और दया जैसा कोई पुण्य नहीं है।....... चाणक्य

सम्पादकीय

युद्ध ही विकल्प नहीं हो सकता

उरी मे हुए आंतकी हमले को लेकर पूरे देश में रोष और आक्रोश हैं उरी से पहले पठानकोट में ऐसा आतंकी हमला हो चुका है। दोनों बार सेना के ठिकानो का निशाना बनाया गया है। दोनों घटनाओं के पीछे पाकिस्तान का हाथ होना सामने आ चुका है इसके सबूत मिल चुके है। पठानकोट में तो पाकिस्तान को स्वंय आकर मौका देखने का अवसर दिया गया है। लेकिन उसने इसमें अपना हाथ होने से साफ इन्कार कर दिया है। आज तक देश के अन्दर जितनी भी आंतकी घटनाएं हुई है। उनमें अधिकांश के तार पाकिस्तान से जुड़े हुए मिले है। लेकिन पाकिस्तान ने इस सच्च को कभी स्वीकारा नही है। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर यू एन मंच से लेकर अधिकांश देशों ने भी पाकिस्तान को बढ़ते आंतक के लिये जिम्मेदार मान लिया है। परन्तु इस सबके बावजूद पाकिस्तान की आंतक के प्रति नीयत और नीति में कोई अन्तर नही आया है। बल्कि अब यह धारणा बनती जा रही है कि संभवत: आंतक उसकी रणनीति का ही एक हिस्सा है। लेकिन पाकिस्तान की इस नीति के लिये अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय को भी जिम्मेदार ठहराया जा सकता है क्योंकि किसी भी देश ने पाकिस्तान की निदां करने के अतिरिक्त उसके साथ अपने व्यापारिक और दूसरे रिश्ते समाप्त नहीं किये हैं। कहीं से भी कोई प्रतिबंध पाकिस्तान पर नहीं आये है क्योंकि हम जो इन आंतकी घटनाओं की सीधी कीमत चुका रहे हैं हमने भी अपने रिश्ते समाप्त नही किये है। हम भी कड़े ब्यानो और पाकिस्तान के राजदूत को बुलाकर अपना रोष अधिकारिक रूप से वहां की हकूमत तक पहुंचाने से ज्यादा कुछ नहीं करते रहे है। पाकिस्तान को सामरिक हथियार उपलब्ध करवाने के लिये कभी चीन, कभी अमेरिका तो कभी को अन्य देश हर समय आगे आता ही रहा है और यही पाकिस्मान की सबसे बड़ी ताकत बन जाता है।

आज देश के भीतर पाकिस्तान के खिलाफ निर्णायक सैन्य कारवाई की मांग जोर पकड़ती जा रही है। सरकार और सेना की ओर से भी युद्ध को अन्तिम विकल्प के रूप में लेने पर विचार किया जा रहा है। सैन्य बल के रूप में हम पाकिस्तान पर हर बार भारी पड़ते आये है और आज भी पडेंगे इसमें कोई दो राय नहीं है। बढ़ती आतंकी घटनाओं का जवाब यदि सैन्य कारवाई के रूप में दिया जाता है तो अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय भी इसके लिये हमें दोष नही दे सकता। क्योंकि पाकिस्तान की सच्चाई हम विश्व समुदाय के सामने ला चुके हैं। लेकिन यदि सैन्य कारवाई का विकल्प चुना जाता है तो उसके परिणाम क्या होंगे उस पर गंभीरता से विचार करना होगा। अमेरीका, फ्रांस, इंग्लैण्ड आदि कई देशों में पिछले कुछ अरसे से ऐसी आंतकी घटनाएं देखने को मिली है। बढ़ता आंतकवाद विश्व समस्या बनता जा रहा है। इन आंतकीयों के पास हर तरह के सैन्य हथियार/ उपकरण पहुंच रहे हैं। इन्हें यह सब कहां से और कैसे उपलब्ध हो रहा है? इसके लिये धन कंहा से आ रहा है? क्योंकि आतंकवाद इन संसाधनों के सहारे ही तो बढ़ रहा है। आज के अधिकांश देशों के पास परमाणु और रसायनिक हथियार उपलब्ध है। हर रोज इनके परीक्षण हो रहे है और अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय इनकी निंदा करने से अधिक कुछ कर नही पा रहा है। हर देश के बजट का बड़ा भाग सामरिक रिसर्च और सामरिक हथियारों के उत्पादन पर खर्च हो रहा है। कुछ देशों की अर्थव्यवस्था का तो सबसे बड़ा आधार ही हथियारों का उत्पादन बन गया है। यदि इन हथियारों का कोई खरीददार न हो तो उनका उत्पादन ही रूक जायेगा और उसकी अर्थव्यस्था ही डगमगा जायेगी। आज बढ़ते आंतकवाद के पीछे हथियारों का यह उत्पादन और उनकी सहज उपलब्धता ही सबसे बड़ा कारण है। हथियारों के उत्पादक देश आतंकवाद की निंदा के साथ ही आतंकियों को यह हथियार भी उपलब्ध करवा रहे हैं। क्योंकि आज तक ओसामा विन लादेन जैसे बड़े आतंकी को लेकर यह भी सामने नही आया है कि वह हथियार भी स्वयं बनता था। ऐसे में बहुत स्पष्ट है कि जब आतंकवादियों के खिलाफ खुली सैन्य कारवाई अमल में लायी जायेगी तो फिर उसमें परमाणु और रसायनिक हथियार कब आतंकियों तक पहुंच जायें और उनका इस्तेमाल हो जाये यह आशंका और संभावना बराबर बनी रहेगी।

इसलिये युद्ध का विकल्प चुनने से पहले इन सारे सवालों पर विचार करना आवश्यक होगा। लादेन के लिये जिस तरह की कारवाई पाकिस्तान में घुसकर अमेरिका ने की थी आज वैसी ही कारवाई के लिये अन्तर्राष्ट्रीय मंचो पर सहमति बनाने का प्रयास किया जाना चाहिये। अमेरिका ने कारवाई की पूरा विश्व समुदाय खड़ा देखता रहा उसकी निन्दा तक कोई नही कर पाया। आज भारत पूरे विश्व को पाकिस्तान की इस हकीकत से अवगत करवा चूका है। विश्व समुदाय ने इसे स्वीकार भी कर लिया है और यह स्थिति अमेरिका जैसी कारवाई के लिये बहुत ही उपयुक्त अवसर है। क्योंकि युद्ध के विकल्प से आतंकियों से अधिक सामान्य नागरिकों का नुकसान होता है और वह नही होना चाहिये।

सड़क दुर्घटनाओं में कमी के लिये निगम के गंभीर प्रयास

पर्वतीय राज्य हिमाचल प्रदेश की विषम भौगोलिक स्थितियों के मद्देनजर हिमाचल सरकार दूर-दराज के क्षेत्रों तक लोगों को आधुनिक परिवहन सुविधाएं प्रदान करने पर विशेष बल दे रही है। प्रदेश में परिवहन का एकमात्र साधन भूतल परिवहन है और राज्य सरकार द्वारा यात्रियों को सुरक्षित व आरामदायक यात्रा सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए हर संभव प्रयास किये जा रहे हैं।

प्रदेश में निगम की 2700 बसें दे रही सेवाएं
सड़कों पर लग्जरी व सुपर लग्जरी बसें उतारने से सफर हुआ आसान

लोगों की सुविधा के लिये प्रदेश सरकार ने परिवहन प्रणाली का आधुनिकीकरण आरम्भ किया है। अनेक बसों में नवीनतम तकनीक को शामिल करने के अतिरिक्त कार्यशालाओं में उचित सुविधाएं उपलब्ध करवाने के अतिरिक्त विभिन्न बस अड्डों का निर्माण, स्तनोन्यन व आधुनिकीकरण किया गया है। राज्य के विभिन्न भागों में लग्जरी व सुपर लग्जरी बसें बड़ी संख्या में सड़कों पर उतारी गई हैं जिनसे लम्बा सफर अत्यंत आरामदायी हुआ है।

हिमाचल प्रदेश के गठन के उपरांत प्रदेश में सड़क नेटवर्क को सुदृढ़ करना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है और आज सरकार के प्रयासों से प्रदेश में 37000 किलोमीटर लम्बी सड़कों का एक बृहद जाल है और सभी सड़कों पर बसों की माकूल उपलब्धता सुनिश्चित बनाई जा रही है।

पथ परिवहन निगम के पास आज लगभग 2700 बसों का एक बड़ा बेड़ा है, जिसमें 72 लग्जरी व सपुर लग्जरी बसें शामिल हैं। प्रदेश भर में 2400 रूट कार्य कर रहे हैं और लगभग 8700 स्टाफ के माध्यम से प्रतिदिन 4.60 किलोमीटर क्षेत्र को कवर किया जा रहा है। इसमें संकरे मोड़ पहाड़ियों व उबड़-खाबड़ मार्गों व दर्रों पर समुद्रतल से 16 हजार फुट तक की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में निगम की बसें दौड़ रही हैं। यह कार्य चालकों के लिए एक जोखिम व चुनौतिपूर्ण है और इसके लिए उत्कृष्ट परिचालक क्षमता आवश्यक है।

सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिये सरकार गंभीर प्रयास कर रही है। भारत सरकार के सहयोग से राज्य में ब्लैक स्पोट्स को चिन्हित कर इनका सुधार करने तथा क्रेश बेरियर लगाने की योजना है। राज्य के प्रत्येक जिले में कम से कम दो ड्राईविंग स्कूल खोले जाएंगे और प्रत्येक स्कूल के लिये भारत सरकार एक करोड़ का अनुदान देगी।

राष्ट्रीय उच्च मार्गो एवं राज्य उच्च मार्गो पर जीवन रक्षक उपकरणों से लैस 1000 नई एम्बुलेन्स उपलब्ध करवाई जाएंगी। इसी प्रकार इन मार्गो के समीप ट्रॉमा केन्द्रों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी तथा दुर्घटना की स्थिति में तुरन्त उपचार प्राप्त हो सके। राज्य के विभिन्न मार्गो में स्पीड गवर्नर्ज स्थापित किए जा रहे हैं।

प्रदेश सरकार ने हिमाचल पथ परिवहन निगम की कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए अनेक पग उठाए हैं। शिमला शहर में पॉयलट परियेजना के आधार पर कैशलेस टिकट प्रणाली आरम्भ की गई है। प्रतिवर्ष बेहतर माइलेज देने के लिए चालकों एवं परिचालकों को एक लाख रुपये प्रत्येक को प्रोत्साहन पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है इसी तरह तकनीकी कर्मचारियों के भी क्रियाशील लागत को कम करने के लिए पुरस्कृत किया जाता है।

यात्रियों की सुरक्षा को प्रदेश सरकार द्वारा विशेष अहमियत दी गई है। इसे सुनिश्चित बनाने के लिए चालकों को नियुक्ति के समय विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है और चालकों द्वारा दुर्घटना की स्थिति पर उनके विरूद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाती है। बसों में कैसेट प्लेयर चलाने व बड़े आकार के मिरर लगाने पर पाबंदी लगाई गई है। नशे की स्थिति में कोई चालक वाहन न चलाएं, इसके लिए डियूटी के दौरान श्वास विश्लेषकों से जांच की जाती है। समय-समय पर इनकी चिकित्सा जांच को अनिवार्य बनाया गया है। सड़क जांच समिति द्वारा बसों को चलने योग्य घोषित करने के उपरांत ही इन्हें सड़कों पर उतारा जाता है। विभिन्न बस अड्डों पर सीसीटीवी स्थापित किए गए हैं और चरणबद्ध तरीके से सभी बस अड्डों पर स्थापित किया जा रहा है।

इसी प्रकार लग्जरी बसों जैसे वाल्वो आदि में सीसीटीवी स्थापित करने की प्रक्रिया आरम्भ की गई है। उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए हेल्पलाईन नम्बर 94180-00529 तथा 98050-00529 को आरम्भ किया गया है। प्रतिदिन तकरीबन पथ परिवहन निगम व निजी बसों से सम्बन्धित 50 से 60 कॉल प्राप्त हो रही है।

गत तीन वर्षो के दौरान पथ परिवहन निगम के बेड़े में 1300 नई बसें शामिल की गई और 316 और बसें, जिन में 16 नई लग्जरी बसें भी बेड़े में शामिल की जाएंगी। इसी दौरान 365 नए रूट भी आरम्भ किए गए हैं। इन बसों को जीपीएस, सीसीटीवी व यात्री सूचना प्रणाली से सुसज्जित किया गया है। सरकार प्रदेश के प्रमुख धार्मिक व ऐतिहासिक स्थलों को लग्जरी बस सेवाओं से जोड़ने के लिए प्रयासरत है।

मनाली-जयपुर, शिमला-कटड़ा, शिमला-हरिद्वार सुपर स्पैशियलिटि बसें चलाई जा रही हैं। 25 ईलेक्ट्रिक बसों की निविदाएं आमंत्रित की गई हैं जबकि 50 छोटी बसें दूरवर्ती एवं संकरे मार्गो के लिये शीघ्र ही बेड़े में शामिल की जा रही हैं।

शिमला, दिल्ली, मनाली, चम्बा, धर्मशाला, कांगड़ा, बैजनाथ, पालमपुर, मैकलोडगंज, हमीरपुर, हरिद्वार और चंडीगढ़ में सभी प्रकार की बसों के लिए ऑनलाइन बुकिंग सेवा आरम्भ की गई है। शीघ्र ही इसे रामपुर व सरकाघाट में भी आरम्भ किया जाएगा।

पथ परिवहन निगम को आत्मनिर्भर बनाने व इसके राजस्व को बढ़ाना राज्य सरकार का मुख्य लक्ष्य है। बेहतर गुणवत्तायुक्त बसों के कारण किलोमीटर प्रति लीटर (केएमपीएल) 3.65 से बढ़कर 3.72 तक पहुंच गई है और निगम का राजस्व बढ़कर 220 करोड़ हो चुका है।

पथ परिवहन निगम ने शिमला शहर में टैक्सी सेवा आरम्भ की है, जो प्रतिबंधित सड़कों पर सफलतापूर्वक चल रही है और लोगों विशेषकर वरिष्ठ नागरिकों, बीमारों, शारीरिक रूप से अक्षमों, महिलाओं व बच्चें लाभान्वित हो रहे हैं। निगम ने पर्यटकों की सुविधा के लिए मनाली से रोहतांग रूटों पर सीएनजी बस सेवा आरम्भ करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

सामाजिक दायित्व के तहत प्रदेश सरकार सरकारी स्कूलों व महाविद्यालयों के विद्यार्थियों व शारीरिक रूप से अपंग को नि:शुल्क बस सेवा उपलब्ध करवा रही है। इसके अतिरिक्त सरकारी कर्मचारियों, पुलिस जवानों और जेल वार्डनों इत्यादि को रियायती दरों पर परिवहन सुविधा प्रदान की जा रही है, जिस पर 110 करोड़ रुपये वार्षिक व्यय हो रहे हैं। प्रदेश सरकार ने पथ परिवहन निगम के कर्मचारियों के कल्याण के लिए अनेक पग उठाए हैं। पथ परिवहन निगम 147 करोड़ रुपये वार्षिक पेंशनों पर व्यय कर रही है, जबकि वर्ष 2012-13 में इसकी देनदारी 47 करोड़ रुपये थी।

अभी तक जन सहभाग से चलने वाला लोकतंत्र नही आया है : अन्ना

शैल का संपादकीय ''चुनाव आयोग से सवाल'' अन्ना जी ने पढ़ा और उस पर एक लेख के रूप में अपनी प्रतिक्रिया भेजी है। यह लेख पाठकों के सामने रखा जा रहा है।

देश को आज़ाद हुए ६८ साल बीत गये। फिर भी हमारे देश में जनता का, जनता ने, जनसहभाग से चलनेवाला लोकतंत्र नहीं आया। सिर्फ गोरे गए और काले आ गए हैं। चुनाव प्रक्रिया द्वारा सत्ता परिवर्तन भी आज़माया गया, लेकिन सत्तासीन हो जाने हर पार्टी पर वही सत्ता का रंग चढ जाता रहा है। आजादी के बाद हम अनुभव कर रहे हैं कि पक्ष-पार्टी बदल कर देश में सही परिवर्तन नहीं आएगा। जब तक सही व्यवस्था परिवर्तन नहीं होगा तब तक देश में सही परिवर्तन नही आएगा। और वह व्यवस्था परिवर्तन पक्ष-पार्टी नहीं कर सकती। इसी लिए लोकतंत्र को देश में लाने के लिए देश की जनता को आज़ादी की दूसरी लडाई अहिंसा के मार्ग से लडनी होगी। इस लडाई में अपना वोट अपना शस्त्र है- हथियार है। वोट के इस शस्त्र को समझ बूझ कर चलाया जाए तो इस लडाई को जीता जा सकता है। इस लडाई में ना किसी को घायल करेंगे, ना ही हम भी घायल होंगे।

जुल्मकारी अंग्रेजों ने भारत की जनता पर घोर अन्याय, अत्याचार, जुल्म किए। बाज़ आ कर देश की जनता ने सन् १८५७ में आज़ादी की जंग छेड दी। सन् १८५७ से ले कर १९४७ तक के ९० साल में देश की आज़ादी के लिए लाखों शहीदों ने अपनी जान की कुर्बानी दी, तब जा के १५ अगस्त १९४७ को देश आज़ाद हुआ।

आज़ादी के लिए जान कुर्बान करने वाले इन शहीदों ने सपना देखा था जिसमें अन्यायी, अत्याचारी अंग्रेजों से भारत देश मुक्त होगा और देश में जनता का, जनता ने, जन सहभागिता से चलाया हुआ जनतंत्र, लोकतंत्र क़ायम करना होगा। अंग्रेज तो इस देश से चले गये, लेकिन देश में वह लोकतंत्र नहीं आया जो लोगों का, लोगों ने, लोग सहभागिता से चलाना था। उसके स्थान पर पक्ष-पार्टी तंत्र आ बैठा जिसने लोकतंत्र को देश में आने ही नहीं दिया।

सन् १९४९ में बने हमारे संविधान को लागू कर २६ जनवरी १९५० को देश में गणतंत्र आया। उस दिन से हमारे देश में प्रजा की सत्ता आ गई। प्रजा इस देश की मालिक हो गई, सरकारी तिजोरी जनता की तिजोरी हो गई। देश की मालिक जनता बन गई। ऐसे में आज़ादी के पहले से देश में चली आयी अलग-अलग पक्ष-पार्टियां बरखास्त हो जानी चाहिए थीं। महात्मा गांधी जी ने भी काँग्रेस के लोगों से कहा था कि अब काँग्रेस पार्टी बरखास्त करनी चाहिए। लेकिन काँग्रेस पार्टी प्रमुख ने पार्टी को बरखास्त नहीं किया।

आज़ादी के बाद सन् १९५२ में जब देश में पहला चुनाव आया, यद्यपि संविधान में पक्ष-पार्टी का नाम नहीं था, काँग्रेस वालों ने पार्टी द्वारा चुनाव लडने का निर्णय लिया जो कि संविधान के विरोध में था। फिर बाकी पार्टियाँ भी चुनाव के मैदान में उतर आईं। उसी वक्त तत्कालीन चुनाव आयोग ने संविधान में पक्ष-पार्टी का नामोल्लेख ना होने के कारण से यह आपत्ति उठाना ज़रूरी था कि आपका पक्ष-पार्टी के तहत चुनाव लडना संविधान विरोधी है। आप चुनाव नहीं लड सकते। लेकिन तत्कालीन चुनाव आयोग ने ऐसा नहीं किया। इस कारण १९५२ का चुनाव हो गया।

सन् १९५२ से ले कर आज तक सभी पक्ष-पार्टियाँ संविधान विरोधी चुनाव करती आ रही हैं। चुनाव के कारण पक्ष-पार्टियों में सत्ता की स्पर्धा बढती गई। हर पक्ष-पार्टी सोचने लगी कि येन-केन प्रकारेण हमारी पार्टी ने चुन कर तो आना ही है और सत्ता क़ाबिज करनी है। फिर जिनको चुनाव का टिकट देना है वह उम्मीदवार गुंडा, भ्रष्टाचारी, लुटारू, व्यभिचारी है यह मालूम होते हुए भी केवल सत्ता में आने के लिए ऐसे लोगों को अपने पार्टी का चुनाव तिकीट देना शुरु हो गया। इस कारण संसद जैसे लोकशाही के पवित्र मंदिर में कई गुंडे, भ्रष्ट, व्यभिचारी, लुटारू लोग पहुंच गए। संसद में १७० से अधिक दागी सांसद हैं।

अलग-अलग पक्ष-पार्टियों ने गलत लोगों को चुनावी

टिकट दे कर भले ही गलती की, लेकिन मतदाताओं ने भी तो नहीं सोचा कि ऐसी गलती मैं नहीं करूंगा, मैं तो संविधान के मुताबिक सिर्फ चरित्रवान् व्यक्ति को जो किसी पक्ष–पार्टी का मेंबर नहीं हो ऐसे ही उम्मीदवार को वोट दूंगा। मतदाताओं में यह जागृति नहीं आ पायी। ना ही किसीने उनको जगाने का प्रयास भी किया। यह स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि आज़ादी के ६८ साल में पक्ष–पार्टी वाले लोग सिर्फ अपने और अपने पार्टी के विकास ही की सोच रखते हैं। समाज और देश की सोच दूर होती जा रही है।

इस प्रकार पक्ष–पार्टियों के समूह संविधान बाह्य चुनाव करा कर संसद में जाते रहे हैं। इस कारण संसद में और बाहर भी पक्ष–पार्टी के समूह बन गए हैं। इन समूहों के कारण गुंडागर्दी बढ गई है, भ्रष्टाचार बढ गया है, जनता की तिजोरी की लूट बढ गई है। उनके विरोध में कोई आवाज उठाए तो संसद के अंदर भी और संसद के बाहर भी उन पक्ष–पार्टी के समूह लडाई के लिए खडे हो जाते हैं। पक्ष–पार्टी के समूहों ने देश में जाति–पाँति धर्म–वंश का जहर फैला दिया। इसी कारण हमारे देश में आज जाति–पाँतियों में झगडे–फ़साद होते हैं। संविधान के मुताबिक पक्ष–पार्टी विरहित चरित्रवान् उम्मीदवार व्यक्तिगत रूप में चुन कर यदि संसद में जाते तो शायद जाति–पाँति, धर्म, वंश के आपस में झगडे–टंटे नहीं बढने थे। भ्रष्टाचार, लूट, गुंडागर्दी नहीं बढनी थी।

महात्मा गांधीजी का कहना था कि जब तक गांव का विकास नहीं होगा तब तक देश का सही विकास नहीं होगा। आज हमारे देश के अधिकांश गांवों में पक्ष–पार्टियों के समूहों ने गांव के लोगों में अपनी–अपनी राजनैतिक गुटबन्दी निर्माण कर दी जिसके कारण देश के अधिकांश गांवों में आपसी झगडे–फ़साद बढ गए हैं, गांव के विकास कार्य में बाधा पड गई है, गांव का विकास रुक गया है। सत्ता मंत्रालय में केंद्रित हो चुकी है। उसके विकेंद्रीकरण के लिए संसद में बैठी पक्ष–पार्टियाँ हरगिज़ तैयार नहीं हैं। गांव के जल, जंगल, ज़मीन का मालिक गांव है। केन्द्र या राज्य सरकार को गांव की कोई भी चीज यदि लेनी है तो ग्रामसभा की अनुमति के बिना नहीं ले सकती, ऐसा कानून देश में हो पाता तो लोकतंत्र आ सकता था। लेकिन पक्ष–पार्टियों को ऐसा लोकतंत्र नहीं चाहिए। इसलिए सत्ता का विकेंद्रीकरण नहीं होने देते।

युवाशक्ति हमारी राष्ट्रशक्ति है। इस युवाशक्ति को यदि विधायक कार्य के साथ जोडा जाता तो समाज और देश का उज्वल भविष्य दूर नहीं था लेकिन, आज पक्ष–पार्टियों के समूहों ने महाविद्यालयीन युवकों में अलग–अलग पक्ष–पार्टी के ग्रुप बना कर झगडे लगा दिए हैं। जिनके चलते कई स्थानों पर कुछ युवकों की हत्या तक हो गई है। जो युवाशक्ति राष्ट्रविकास कार्य में लगनी चाहिए थी वह आपसी झगडों में लगाई गई है।

संविधान के मुताबिक संसद को हम लोकसभा कहते हैं जो कि लोगों की सभा होनी चाहिए थी। यदि संविधान के मुताबिक पक्ष–पार्टी विरहित चरित्रवान् व्यक्तियों को चुन कर जनता ने संसद में भेजा होता तो वह लोगों की सभा हो सकती थी। लेकिन आज पक्ष–पार्टियों समूह के उम्मीदवार चुन कर जाने के कारण लोगों की सभा ना रहते संसद पक्ष–पार्टी की सभा बन गई है।

अधिकांश पक्ष–पार्टियों ने मिल कर तय किया है कि पार्टी को चुनाव के लिए पैसे की जरूरत होती है, इसलिए पार्टी को २०,०००/– बीस हजार रुपये तक का डोनेशन कोई देता है तो उसका हिसाब जनता को देने की जरूरत नहीं है।

आज पक्ष–पार्टियाँ उद्योगपतियों से लाखों–करोडों रुपयों का डोनेशन लेते हैं जिसके २०,०००/– बीस हजार रुपयों के टुकडे कर उनको छगन, मगन, ढीकला, फलाणा आदि जाली नाम दे कर यह काला धन कई पक्ष–पार्टी के माध्यम से सफेद होता है। देश के लिए यह बडा खतरा बन गया है। संसद में बैठे सांसद आवास के लिए बंगला, मोटर, रेल तथा विमान किराये में रियायत, बिजली, टेलिफोन इस प्रकार की कई लाख रुपयों की लागत वाली सुविधाएं लेते हैं। हर माह पचास हजार रुपये तनखा भी लेते हैं। फिर भी अधिकांश पक्ष–पार्टी के सांसद इकट्ठे हो कर, मिल जुल कर संसद में कहते हैं कि पचास हजार रुपये तनखा पर्याप्त नहीं है, एक लाख होनी चाहिए। आपस की मिली भगत से जनता का पैसा बाँट खाने का फैसला बिना जनता को पूछे कैसे करते हैं? तनखा तो एक लाख रुपया मांगते हैं और अधिवेशन काल में एक–एक माह झगडों में बिताते हैं। जनता का करोडों रुपया बरबाद करते हैं। यह देश के लिए ठीक नहीं है। संविधान के मुताबिक पक्ष–पार्टी विरहित जनता के चरित्रवान् प्रतिनिधि अगर संसद में जा पाते तो शायद ऐसा

टिकट दे कर भले ही गलती की, लेकिन मतदाताओं ने भी तो नहीं सोचा कि ऐसी गलती मैं नहीं करूंगा, मैं तो संविधान के मुताबिक सिर्फ चरित्रवान् व्यक्ति को जो किसी पक्ष–पार्टी का मेंबर नहीं हो ऐसे ही उम्मीदवार को वोट दूंगा। मतदाताओं में यह जागृति नहीं आ पायी। ना ही किसीने उनको जगाने का प्रयास भी किया। यह स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि आज़ादी के ६८ साल में पक्ष–पार्टी वाले लोग सिर्फ अपने और अपने पार्टी के विकास ही की सोच रखते हैं। समाज और देश की सोच दूर होती जा रही है।

इस प्रकार पक्ष–पार्टियों के समूह संविधान बाह्य चुनाव करा कर संसद में जाते रहे हैं। इस कारण संसद में और बाहर भी पक्ष–पार्टी के समूह बन गए हैं। इन समूहों के कारण गुंडागर्दी बढ गई है, भ्रष्टाचार बढ गया है, जनता की तिजोरी की लूट बढ गई है। उनके विरोध में कोई आवाज उठाए तो संसद के अंदर भी और संसद के बाहर भी उन पक्ष–पार्टी के समूह लडाई के लिए खडे हो जाते हैं। पक्ष–पार्टी के समूहों ने देश में जाति–पाँति धर्म–वंश का जहर फैला दिया। इसी कारण हमारे देश में आज जाति–पाँतियों में झगडे–फ़साद होते हैं। संविधान के मुताबिक पक्ष–पार्टी विरहित चरित्रवान् उम्मीदवार व्यक्तिगत रूप में चुन कर यदि संसद में जाते तो शायद जाति–पाँति, धर्म, वंश के आपस में झगडे–टंटे नहीं बढने थे। भ्रष्टाचार, लूट, गुंडागर्दी नहीं बढनी थी।

महात्मा गांधीजी का कहना था कि जब तक गांव का विकास नहीं होगा तब तक देश का सही विकास नहीं होगा। आज हमारे देश के अधिकांश गांवों में पक्ष–पार्टियों के समूहों ने गांव के लोगों में अपनी–अपनी राजनैतिक गुटबन्दी निर्माण कर दी जिसके कारण देश के अधिकांश गांवों में आपसी झगडे–फ़साद बढ गए हैं, गांव के विकास कार्य में बाधा पड गई है, गांव का विकास रुक गया है। सत्ता मंत्रालय में केंद्रित हो चुकी है। उसके विकेंद्रीकरण के लिए संसद में बैठी पक्ष–पार्टियाँ हरगिज़ तैयार नहीं हैं। गांव के जल, जंगल, ज़मीन का मालिक गांव है। केन्द्र या राज्य सरकार को गांव की कोई भी चीज यदि लेनी है तो ग्रामसभा की अनुमति के बिना नहीं ले सकती, ऐसा कानून देश में हो पाता तो लोकतंत्र आ सकता था। लेकिन पक्ष–पार्टियों को ऐसा लोकतंत्र नहीं चाहिए। इसलिए सत्ता का विकेंद्रीकरण नहीं होने देते।

युवाशक्ति हमारी राष्ट्रशक्ति है। इस युवाशक्ति को यदि विधायक कार्य के साथ जोडा जाता तो समाज और देश का उज्वल भविष्य दूर नहीं था लेकिन, आज पक्ष–पार्टियों के समूहों ने महाविद्यालयीन युवकों में अलग–अलग पक्ष–पार्टी के ग्रुप बना कर झगडे लगा दिए हैं। जिनके चलते कई स्थानों पर कुछ युवकों की हत्या तक हो गई है। जो युवाशक्ति राष्ट्रविकास कार्य में लगनी चाहिए थी वह आपसी झगडों में लगाई गई है।

संविधान के मुताबिक संसद को हम लोकसभा कहते हैं जो कि लोगों की सभा होनी चाहिए थी। यदि संविधान के मुताबिक पक्ष–पार्टी विरहित चरित्रवान् व्यक्तियों को चुन कर जनता ने संसद में भेजा होता तो वह लोगों की सभा हो सकती थी। लेकिन आज पक्ष–पार्टियों समूह के उम्मीदवार चुन कर जाने के कारण लोगों की सभा ना रहते संसद पक्ष–पार्टी की सभा बन गई है।

अधिकांश पक्ष–पार्टियों ने मिल कर तय किया है कि पार्टी को चुनाव के लिए पैसे की जरूरत होती है, इसलिए पार्टी को २०,०००/– बीस हजार रुपये तक का डोनेशन कोई देता है तो उसका हिसाब जनता को देने की जरूरत नहीं है।

आज पक्ष–पार्टियाँ उद्योगपतियों से लाखों–करोडों रुपयों का डोनेशन लेते हैं जिसके २०,०००/– बीस हजार रुपयों के टुकडे कर उनको छगन, मगन, ढीकला, फलाणा आदि जाली नाम दे कर यह काला धन कई पक्ष–पार्टी के माध्यम से सफेद होता है। देश के लिए यह बडा खतरा बन गया है। संसद में बैठे सांसद आवास के लिए बंगला, मोटर, रेल तथा विमान किराये में रियायत, बिजली, टेलिफोन इस प्रकार की कई लाख रुपयों की लागत वाली सुविधाएं लेते हैं। हर माह पचास हजार रुपये तनखा भी लेते हैं। फिर भी अधिकांश पक्ष–पार्टी के सांसद इकट्ठे हो कर, मिल जुल कर संसद में कहते हैं कि पचास हजार रुपये तनखा पर्याप्त नहीं है, एक लाख होनी चाहिए। आपस की मिली भगत से जनता का पैसा बाँट खाने का फैसला बिना जनता को पूछे कैसे करते हैं? तनखा तो एक लाख रुपया मांगते हैं और अधिवेशन काल में एक–एक माह झगडों में बिताते हैं। जनता का करोडों रुपया बरबाद करते हैं। यह देश के लिए ठीक नहीं है। संविधान के मुताबिक पक्ष–पार्टी विरहित जनता के चरित्रवान् प्रतिनिधि अगर संसद में जा पाते तो शायद ऐसा

वे जनता के भेजे हुए पक्ष-पार्टी विरहित चरित्रवान् सांसद होंगे। संविधान में सभी सांसदों के लिए मार्गदर्शक तत्व बना रखे हैं। उन्हींका अनुसरण करते हुए अपना कार्य करने में निर्दलीय जनता के सांसदों को कोई भी कठिनाई नहीं होगी। प्रधान मंत्री, सभापति, आदि कैसे चुने जाएं इन बारे में विस्तृत मार्गदर्शन हमारे संविधान में मौजूद है। शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जैसे लाखों शहीदों का लोकतंत्र का सपना यदि पूरा करना हो तो पक्ष-पार्टीतंत्र को बरखास्त करना ही होगा और वैसा करने की चाभी देश के मतदाताओं के हाथ में है। किसी से भी झगडा-फ़साद ना करते हुए अहिंसा के मार्ग से जनता सिर्फ अपने वोट के बल पर देश में लोकतंत्र ला सकेगी।

यह काम आसानी से नहीं होने वाला। आजादी के बाद ६८ साल की आदतें जल्दी नहीं जाने वाली। हर घर में भाई-भाई अलग-अलग पार्टियों से जुडे हुए हैं। ऐसे हालात में पक्ष-पार्टी तंत्र को हटाना आसान नहीं है। लेकिन आने वाले पांच, दस, बारह सालों में समविचारी लोगों ने संगठित हो कर देश के गांव-गांव में जा कर लोकशिक्षा, लोकजागृति का प्रयास अगर किया तो पक्ष-पार्टियाँ नेस्तनाबूद हो सकेंगी और देश में लोकतंत्र आ पाएगा।

हमारे संविधान के अनुच्छेद ८४ (क) और (ख) में कहा है कि, ''कोई व्यक्ति संसद के किसी स्थान को भरने के लिए चुने जाने के लिए अर्हित तभी होगा जब- वह भारत का नागरिक है और निर्वाचन आयोग द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति के समक्ष तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्रारूप के अनुसार शपथ लेता है या प्रतिज्ञान करता है और उस पर अपने हस्ताक्षर करता है। वह राज्यसभा में स्थान के लिए कम से कम तीस वर्ष की आयु का और लोकसभा में स्थान के लिए कम से कम पच्चीस वर्ष की आयु है।'' संविधान में पक्ष-पार्टी के समूहों के चुनाव लडने की बात कहीं पर भी नहीं की गई है। फिर सवाल उठता है कि ऐसी स्थिति में पक्ष-पार्टी के समूह चुनाव में कैसे और क्यों आए? दर असल पार्टियाँ लोकतंत्र का गला घोट कर सरकार बनाने लगी। संविधान द्वारा परिकल्पित अन्तिम आदमी की निर्दल सरकार की स्थापना है जिसमें सत्ता पक्ष और विरोधी पक्ष न हो एवं उम्मीदवार, प्रतिनिधि अपने क्षेत्र के हित प्रति सजग और जनता के प्रति जवाब देह रहे। लोकतन्त्र का सीधा सम्बन्ध जवाबदेही से है, यह जवाबदेही प्रतिनिधि किसके प्रति? आज चुनाव चिह्न की वजह से प्रतिनिधि जनता के प्रति जवाबदेह होने के बजाए पार्टी के प्रति जवाबदेह हो गया है। सरकार भी पार्टी के चुनाव चिह्न की वजह से पार्टियों की सरकार बनती है न कि जनहित में।

निर्वाचन आयोग द्वारा एक अच्छा निर्णय लिया गया है। १ मई २०१५ के बाद कराए जानेवाले सभी निर्वाचनो में इलेक्ट्रीक मशीन वोटींग की बॅलेटींग युनिट पर प्रदर्शित किए जानेवाले मतपत्र तथा डाक मतपत्र में विद्यमान निर्देश के अनुसार विवरणों के अतिरिक्त इस पर अभ्यार्थीयों के फोटो भी मुद्रित होंगे ऐसा निर्णय लिया गया है। अभ्यार्थीयों के फोटो अभ्यार्थीयों के नाम पॅनल में मुद्रित होंगे। अभ्यार्थी के नाम तथा प्रतीक (आकृती) के मध्य में नाम के दाहिने और मत प्राथमिकता चिन्हीत करने के कॉलम होंगे। चुनाव आयोग ने १ मई २०१५ को निर्णय लिया है।

अब हम देश की जनता इकठ्ठा हो कर चुनाव आयोग से बिनती करनी है कि, आपने मतपत्र में ई.व्ही.एम. पर प्रत्याशीयों के फोटो लगाना सुनिश्चित किया यह लोकतांत्रिक और संवैधानिक फैसला है। लेकिन अब किसी फोटो के साथ प्रतीक (आकृती) की जरुरत नही रह जाती है। ऐसा प्रतीक (आकृती) रखना घटना बाह्य होगा। हम सभी जनताने मतपत्र/ई.व्ही.एम. पर से चुनाव प्रतीक (आकृती) को हटाने का आग्रह करना होगा क्योंकि ऐसा प्रतिक (चिन्ह) घटनाबाह्य है। अगर चुनाव प्रतीक हट जाए तो देश में लोकतंत्र आना आसान होगा। चलो चुनाव चिन्ह हटाने के लिए हम आजादी की दूसरी लडाई के लिए संगठित होते है।

इस लडाई के लिए अपने नाम, पता, ईमेल, मोबाईल नंबर नीचे के पते पर भेजे।

भारत माता की जय।

वन्दे मातरम्।

(कि. बा. तथा अण्णा हजारे)

टीप : यह पत्रक कोई भी व्यक्ती लोकशिक्षा और लोकजागृती के लिए छपकर जनता को बाट सकती हैं ।

राळेगण सिध्दी, ता. पारनेर,जि. अहमदनगर, पिन ४१४३०२ (महाराष्ट्र)
फोन : ०२४८८-२४०४०१ मो. नं. ०९८५०२०००९०
Email: annahazareoffice1@gmail.com
www.annahazare.org | www.joinannahazare.org.in

मुख्यमंत्री द्वारा शिकायत निवारण के लिए शिमला नगर निगम के मोबाइल ऐप का शुभारम्भ

शिमला/शैल। मुख्यमन्त्री वीरभद्र सिंह ने शिकायत निवारण के लिए नगर निगम शिमला के एंडरॉयड आधारित मोबाइल ऐप्लिकेशन (ऐप) का शुभारम्भ किया। उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन के तहत 'कार-बिन' का भी उद्घाटन किया।

योजना के अन्तर्गत प्रदेश में प्रवेश करते समय पर्यटकों सहित स्थानीय लोगों को शहर में स्वच्छता बनाए रखने के लिए 'जूट के बैग' उपलब्ध करवाए जाएंगे। इसके अतिरिक्त नगर निगम मोबाइल वाहन पर 'विज्ञापन गीत' के माध्यम से स्वच्छता से सम्बन्धित सूचना को प्रसारित किया जाएगा।

जिला प्रशासन सोलन आबकारी एवं कराधान विभाग के सहयोग से परवाणू बैरियर पर्यटकों को कार-विनज प्रदान करेगा और मुख्यमंत्री शीघ्र ही शिमला में योजना का शुभारम्भ करेंगे।

पर्यटक जैसे ही प्रदेश में प्रवेश करेंगे उन्हें तीस रुपये नाममात्र लागत से स्वेच्छानुसार जूट के बैग सूचना पुस्तिका के साथ प्रदान किए जाएंगे, जिसमें शिमला में उपलब्ध होने वाली पार्किंग सुविधा के साथ-साथ 'क्या करें क्या न करें' व शहर में कूड़ा निष्पादन से सम्बन्धित जानकारी उपलब्ध होगी।

नगर निगम का यह मोबाइल ऐप द्विभाषीय होगा ताकि लोग अपनी शिकायतें फोटो सहित दर्ज करवा सकें और अपनी शिकायतों की स्थिति, अधिसूचनाओं, की स्थिति जान सकें तथा इस ऐप में निगम के महत्वपूर्ण दूरभाष नम्बर भी उपलब्ध होंगे। इसके अतिरिक्त मोबाइल ऐप में शिमला के विभिन्न पर्यटक स्थलों, नगर निगम

क्षेत्र में स्थित होटलों, पार्किंग दरों, एचआरटीसी टैक्सी की समय सारिणी व कुलियों के भाड़ा दरों से सम्बन्धित जानकारी भी उपलब्ध होगी।

मुख्यमंत्री ने नगर निगम शिमला के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि प्रत्येक नागरिक का यह दायित्व बनता है कि वह सड़कों व अन्य सार्वजनिक स्थलों पर इधर-उधर कूड़ा न फैलाएं और जूट बैग व डस्टबिन का अधिक से अधिक प्रयोग करें। उन्होंने मोबाइल ऐप पर शिमला से सम्बन्धित सभी सूचनाएं उपलब्ध करवाने की भी सराहना की तथा कहा कि इससे यहां आने वाले पर्यटकों सहित स्थानीय लोग लाभान्वित होंगे।

यह मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर तथा http://shimlamc-org, http://himachal-nic-in और http://egovmobilesapps-nic-in से डाउनलोड किया जा सकेगा।

इस अवसर पर नगर निगम शिमला के महापौर संजय चौहान, हिमुडा के उपाध्यक्ष यशवंत छाजटा, अतिरिक्त मुख्य सचिव मनीषा नंदा आयुक्त नगर निगम पंकज राय, पार्षदगण व प्रदेश सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

सेंट्रल यूनिवर्सिटी के वीसी के खिलाफ टीचरों ने खोला मोर्चा

शिमला/शैल। एक साल से ज्यादा समय से लंबित मांगों को लेकर सेंट्रल यूनिवर्सिर्टी के टीचरों ने विवि के कुलपति प्रोफेसर कुलदीप चंद अग्निहोत्री के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। विवि के टीचरों ने टीचर यूनियन के बैनर तले केन्द्रीय विश्वविद्यालय के अस्थाई शैक्षणिक खण्ड, शाहपुर के प्रांगण में अपनी मांगों को लेकर विरोध दर्ज किया। विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से लंबे

समय से उपेक्षित मांगों की इस तरह अनदेखी करने पर अध्यापक संघ ने कड़ा रोष जाहिर किया है।

अध्यापक संघ के महासचिव प्रोफेसर रविंदर सिंह ने कहा कि स्टाफ की भर्ती के लिए दो बार विज्ञापन निकल चुके है, लेकिन भर्ती नहीं हो रही है। जिसकी वजह से हर विभाग में स्टाफ की कमी है और कामकाज में असर पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि विवि के पास पैसों की कमी नहीं है, व पैसा वापस जा रहा है। उन्होंने कहा कि अध्यापकों ने वीसी को दोबारा मांगपत्र दिया है। लेकिन जिस तरह का भरोसा उन्होंने पिछले साल दिया था उसी तरह का आश्वासन दिया है।

अध्यापक संघ के अध्यक्ष प्रोफेसर मोहिंदर सिंह ने कहा कि अध्यापकों को चंद मांगे हैं, जिनमें जिसमें समूह बीमा, केन्द्र सरकार की वे स्वास्थ्य सुविधाएं जो अन्य केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों को सरकार द्वारा दी जाती हैं, प्रमुख हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन की दैनिक कार्यवाई में होने वाले विलम्ब, वार्षिक इन्क्रीमेंट का सही समय पर न लगाया जाना , विभिन्न आवेदनों पर निर्धारित समय पर कार्यवाई न होना आदि ऐसे प्रमुख मुद्दे हैं जिनकी अनदेखी के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन जवाबदेह है। संघ ने इस माँग पत्र की अनदेखी करने वाले कर्मचारियों व अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है।

इस माँग पत्र में अध्यापकों को रिफ्रेशर एवं ओरिएंटेशन कोर्स पर जाने के लिए अलग से उनकी डड्ूटी लीव न काटे जाने, एकेडमिक डेवलेपमेंट फंड की व्यवस्था किए जाने, ट्रैवेल ग्रांटए स्टडी लीव, कैरियर एडवांस स्कीम की प्रोन्नति सम्बन्धी व्यवस्था की मांग की गई। इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय में महिला अध्यापकों के छोटे बच्चों के लिए क्रेच की व्यवस्था की मांग भी रखी गई जो केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा स्वीकृत है।

संघ ने कहा है कि विश्वविद्यालय में मूलभूत स्वास्थ्य सुविधाएं भी अनुपलब्ध हैं जिसका खामियाजा समय-समय पर अध्यापकों एवं विद्यार्थियों को उठाना पड़ता रहा है। विश्वविद्यालय के शिक्षकों को बैठने एवं पठन-पाठन के लिए उचित स्थान न होने के कारण शोध एवं अनुसंधान में अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

हिमाचल एचवीआरए एटलस तैयार करने वाला देश का एकमात्र हिमालयन राज्य

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि आपदाओं का प्रबन्धन आवश्यक रूप से एक सहयोगी एवं जटिल परिश्रम है, और इसे आपदा जोखिम को कम करने के लिये तैयार की जाने वाली रणनीतियों में स्थानीय समुदायों को जरूरी तौर पर शामिल करना चाहिए। मुख्यमंत्री आपदा जोखिम को कम करने के लिये राज्य प्लेटफॉर्म पर आयोजित प्रथम सत्र की अध्यक्षता कर रहे थे।

पंचायती राज संस्थाओं, शहरी स्थानीय निकायों और गैर सरकारी संगठनों को सरकार के आपदा प्रबन्धन प्रयासों में सहयोग होना चाहिए और इसके प्रभाव से शिक्षा लेनी चाहिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश सिस्मिक जोन पांच में आता है, जो भूकम्प और प्राकृतिक एवं मानव निर्मित आपदाओं के लिए अतिसंवेदनशील है। उन्होंने बेहतर पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए सयंम व सहयोग की संस्कृति विकसित करने की आवश्यकता जताई तथा विभिन्न क्षेत्रों में विकास योजनाओं में आपदा प्रबन्धन के लिए अनुकूल उपाय शामिल करने पर भी बल दिया।

वीरभद्र सिंह ने कहा कि आपदाएं अचानक आती हैं और जब कभी भी आएं तो हमें इनसे निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह आवश्यक हो जाता है कि आपदा प्रबन्धन तथा इससे निपटने के लिए राज्य सरकार के विभागों, जिला प्रशासन, शिक्षण संस्थानों, आपदा प्रबन्धन के क्षेत्र में कार्य कर रहे सभी अन्य हितधारकों तथा क्षेत्र के विभिन्न हितों का प्रतिनिधित्व कर रहे लोगों को भी शामिल किया जाना चाहिए।

मुख्यमंत्री ने हिमाचल प्रदेश राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण को बधाई देते हुए कहा कि यह मंच विचारों एवं अनुभवों का आदान-प्रदान करने के लिए बहुत ही उपयोगी होगा और आपदाओं के बचाव के लिए व्यवस्था का निर्माण व निर्धारण में भी राज्य के

लिए बड़ा मददगार होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें यह देखकर प्रसन्नता होती है कि राज्य ने पिछले कुछ वर्षो इन क्षेत्रों में अच्छी प्रगति की है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का प्रयास आपदा प्रबन्धन में राहत केन्द्रित दृष्टिकोण से और अधिक समग्र दृष्टिकोण अपनाने का है।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने जोखिम, अतिसंवेदनशीलता तथा जोखिम आकलन एटलस तैयार की है और हिमाचल प्रदेश देश का मात्र राज्य है, जिसने एचवीआरए एटलस तैयार किया है। वीरभद्र सिंह ने हि.प्र. राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण की कार्य रिपोर्ट तथा वर्ष 2017 के लिए कलेण्डर भी जारी किया। उन्होंने आपदाओं से निपटने के लिए जागरूकता उत्पन्न करने के उद्देश्य से कलेण्डर को सभी पंचायतों तथा शहरी स्थानीय निकायों में वितरित करने के निर्देश दिए।

इस अवसर पर बोलते हुए राजस्व मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि इस मंच का उद्देश्य आपदा प्रबन्धन के विभिन्न पहलुओं पर बेहतर परस्पर संवाद व इंटरफेस प्रदान करने के लिए ज्ञान अनुसंधान तकनीकों, नई खोज तथा सर्वोत्तम प्रथाओं का सहारा लेना है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि इस मंच में जहां राज्य के विभिन्न भागों से समस्त हितधारक तथा राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के प्रतिनिधि, स्विस विकास निगम के प्रतिनिधि, यूएनडीपी, सीडज इंडिया शामिल हुए हैं, वे सभी अपने अनुभवों को सांझा करेंगे तथा पूर्व के अनुभवों से सीख, चुनौतियां, जिनका सामना किया गया है तथा भविष्य के लिए कार्य योजनाओं के मुद्दों पर विचार-विमर्श करेंगे। राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के सदस्य ले. जनरल (सेवानिवृत्त) एन.सी. मरवाह ने भी इस अवसर पर अपने विचार रखें तथा 'सेंडाई फ्रेमवर्क' के बेहतर कार्यान्वयन के लिए उठाए जाने वाले पगों व आपदाओं को कम करने के बारे में योजनाओं एवं जानकारी को सांझा किया।

बाहरा विवि के BTech व MCA के 16 छात्रों की पौने तीन लाख के पैकेज में प्लेसमेंट

शिमला/शैल। बाहरा विश्वविद्यालय, वाकनाघाट के बीटैक व एमसीए के 16 छात्रों को पौने तीन-तीन लाख रुपए के सालाना पैकेज पर

अमरीकी कंपनी रोज इंटरनेशनल की सहायक कंपनी है रोज आइ टी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में नौकरी मिली है।इन छात्रों को ये ऑफर विवि में चलाए गए प्लेसमेंट ड्राइव के दौरान दिया गया।

विवि के कुलपति डॉ. एस के बंसल ने बताया कि यह कैंपस प्लेसमेंट मुख्यत: बी टेक व् एमसीए के छात्रें के लिए थी। उन्होंने कहा कि रोज आई टी सोल्युशन्स प्राइवेट लिमिटिड, अमरीकी कंपनी रोज इंटरनेशनल की सहायक कंपनी है और उसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है।

बंसल ने जानकारी दी कि इस प्लेसमेंट ड्राइव में बाहरा विश्वविद्यालय के अतिरिक्त रायत बाहरा समूह के विभिन्न कॉलेजों के छात्रों ने आकर साक्षात्कार दिया। रोज आई टी सोल्युशन्स की ओर से आये वरिष्ठ एचआर एसोसिएट अन्नपूर्णा सिंह और एचआर लीड निश्फून नहर ने छात्रों का साक्षात्कार लिया। उन्होंने कहा कि इस ड्राइव का आयोजन 2017 बैच के पासिंग आउट छात्रों के लिए किया गया है और उन्हें जनवरी पहले हफ्ते तक ज्वाइन करना होगा। बाहरा विश्वविद्यालय के प्लेसमेंट सेल की निदेशिका कात्यायनी शुक्ला ने बताया कि छात्रों कि छंटनी ग्रुप डिस्कशन और पर्सनेलिटी टेस्ट के आधार पर की गयी । उन्होंने कहा कि दोनों राउंड्स के पश्चात बाहरा विवि से 16 छात्रों का चयन किया गया। जिन्हें कंपनी के दिल्ली व् नोएडा स्थित कार्यालय में नियुक्त किया गया है।

मन्त्रीमण्डल के फैसले

शिक्षा विभाग में 2000 दैनिक भोगी अंशकालीन जलवाहकों होंगे नियमित

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमण्डल की आयोजित बैठक में उच्च/प्रारम्भिक शिक्षा विभाग में वर्ष 1996 की नीति के तहत 27 जुलाई 2001 से पूर्व नियुक्त किए गए लगभग 2000 दैनिक भोगी अंशकालीन जलवाहकों तथा जलवाहक एवं सेवादारों जिन्होंने 31 मार्च 2016 तथा 30 सितम्बर 2016 को बतौर दैनिक भोगी अंशकालीन जलवाहकों तथा जलवाहक एवं सेवादारों के रूप में 14 साल का निरन्तर सेवाकाल पूरा कर लिया है की सेवाएं नियमित करने का निर्णय लिया गया।

बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने की। मंत्रिमण्डल ने दो मिनट का मौन रखकर उड़ी के सैन्य बेस में आतंकी हमले के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की।

बैठक में कांगड़ा जिले के नगरोटा बगवां और शाहपुर तथा शिमला जिले के कुमारसैन में नए उपमण्डल कार्यालय खोलने का निर्णय लिया गया। बिलासपुर जिले के स्वारघाट में नैनादेवी के लिए नए उपमण्डल अधिकारी का कार्यालय सृजन का भी मंत्रिमण्डल ने निर्णय लिया।

मंत्रिमण्डल ने मण्डी जिले में उप तहसील धर्मपुर को स्तरोन्नत कर तहसील बनाने का निर्णय भी लिया। उप तहसील टीहरा को धर्मपुर तहसील में मिलाने तथा उप तहसील टीहर से चौलथरा और सधोट पटवार वृत्तों को बाहर करने तथा इन्हें सरकाघाट तहसील में मिलाने का भी निर्णय लिया गया। इसी प्रकार संधोल तहसील के दो पटवार वृत्तों गोरट और कमलाह को प्रस्तावित धर्मपुर तहसील में मिलाने का भी बैठक में निर्णय लिया गया।

मंत्रिममण्डल ने सिरमौर जिले की नौराधार तहसील के पटवार वृत्त चारना, ददाहू तहसील के पटवार वृत्त खाला क्यार, भाटगढ़, कोटी धीमन व जारंग तथा चम्बा जिले के विकास खण्ड मैहला को दुर्गम क्षेत्र सब.कैडर में शामिल करने को अपनी मंजूरी प्रदान की।

बैठक में शिमला के उप-मोहाल क्यारी रझाणा को नगर निगम शिमला में शामिल करने का निर्णय लिया गया।

मंत्रिमण्डल ने जंगी-थोपन (960 मैगावाट) जल विद्युत परियोजना के मामले में बहुद्देशीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा विभाग को केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के साथ समझौता करने के लिए प्राधिकृत किया।

मंत्रिमण्डल ने वन विभाग में अनुबंध आधार पर बहुद्देशीय कामगारों के 108 पदों को भरने की मंजूरी प्रदान की। उच्च शिक्षा विभाग में कार्यालय सहायक आईटी के आठ पद भरने को मंजूरी प्रदान। बैठक में वैटरीनरी अधिकारी के सात पदों तथा नगर निगम शिमला के अन्तर्गत कृष्णानगर स्थित आधुनिक बूचड़खाने के लिए पैरा-वैटरीनेरीयनज के आठ पद सृजित करने को स्वीकृति प्रदान की गई।

मंत्रिमंडल ने शिक्षा विभाग में अनुबंध आधार पर कनिष्ठ कार्यालय सहायक सूचना प्रौद्योगिकी के 6 पदों के सृजन व भरने को स्वीकृति प्रदान की।

बैठक में लेखन एवं मुद्रण विभाग में कनिष्ठ कार्यालय सहायक (सूचना प्रौद्योगिकी) के 4 पद तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में कनिष्ठ कार्यालय सहायक (सूचना प्रौद्योगिकी) के 3 पदों को भरने की स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमण्डल ने पॉलीटैक्निक इंजिनियरिंग कालेज के उप-निदेशक के पद के सृजन व भरने को स्वीकृति प्रदान की। बैठक में आतिथ्य सत्कार एवं प्रोटोकॉल विभाग में अनुबन्ध आधार पर लिपिक के 2 पदों को भरने की स्वीकृति प्रदान की गई। मंत्रिमण्डल ने बिलासपुर जिला के राजकीय महाविद्यालय जुखाला में एसएलए व जेएलए के एक.एक पद के सृजन को स्वीकृति प्रदान की।

बैठक में हमीरपुर जिला के राजकीय महाविद्यालय भोरंज में अनुबंध आधार पर कनिष्ठ कार्यालय सहायक (सूचना प्रौद्योगिकी) तथा नियमित आधार पर वरिष्ठ सहायक के एक पद को भरने की स्वीकृति प्रदान की गई।

मंत्रिमण्डल ने मुख्यमंत्री ज्ञान दीप योजना को मंजूरी प्रदान की जिसके तहत समस्त हिमाचली विद्यार्थियों को बिना किसी आय सीमा के बैंकों से 10 लाख तक के शिक्षा ऋण पर 4 प्रतिशत ब्याज अनुदान प्रदान किया जाएगा। बैठक में कुल्लू बाईपास से बिजली महादेव तक पीपीपी मोड़ पर रज्जू मार्ग के निर्माण स्वीकृति प्रदान की गई। मंत्रिमण्डल ने प्रस्तावित चामुंडा-होली सुरंग तक सड़क के निर्माण पर चर्चा की, जिसमें प्रथम दृष्टा इस मामले को भारत सरकार के राष्ट्रीय उच्च मार्ग प्राधिकरण से उठाने का निर्णय लिया गया।

बैठक में शिमला जिला के रोहड़ू तथा हमीरपुर जिला के नादौन में आवश्यक पदों सहित 2 नए नगर योजना कार्यालय खोलने को स्वीकृति प्रदान की गई।

मंत्रिमण्डल ने शिमला जिला के चौपाल में आगामी शैक्षणिक सत्र 2017-18 से अनुबन्ध आधार पर पदों को भरने सहित नया राजकीय डिग्री महाविद्यालय खोलने को मंजूरी प्रदान की। बैठक में सिरमौर जिला के संगड़ाह में नए प्राथमिक शिक्षा खण्ड कार्यालय के सृजन को स्वीकृति प्रदान की गई। मंत्रिमण्डल ने सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में अनुबन्ध आधार पर नियुक्त आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारियों की सेवाओं को नियमित करने को अपनी स्वीकृति प्रदान की। बैठक में शिमला जिला के सुन्नी में किसान प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने के लिए पंजाब नेशनल बैंक किसान कल्याण निधि को 10 बीघा जमीन आवंटित करने की स्वीकृति प्रदान की गई।

मंत्रिमण्डल ने मानसिक रूप से विकलांग बच्चों के लिए आवासीय संस्थान स्थापित करने को स्वीकृति प्रदान की।

मंत्रिमण्डल ने हिमाचल प्रदेश रीवर राफ्टिंग नियम-2005 में संशोधन करने का निर्णय लिया।

बैठक में राज्य की क्षेत्रीय योजनाओं की व्यवस्था को स्वीकृति प्रदान की गई। शहरी एवं नगर नियोजन विभाग द्वारा संविधान के 73वें एवं 74वें संशोधन के प्रावधानों के अनुरूप क्षेत्र की स्थापना के लिए सभी जिलों को एक इकाई के रूप में लिया जाएगा।

मंत्रिमण्डल ने समेकित शिशु संरक्षण योजना की पूर्ति के लिए जुविनाईल जस्टिस (बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम-2015 से संबद्ध मुख्यमंत्री बाल उद्धार योजना में संशोधन को मंजूरी प्रदान की।

वामपंथियों का आरोप

गिरी पेयजल योजना में हुआ भ्रष्टाचार शिमला के जल संकट के लिये जिम्मेदार

शिमला/शैल। राजधानी शिमला में पीने के पानी को लेकर मचे हाहाकार के पीछे भ्रष्टाचार का बड़ा कांड होने की ओर वामपंथियों ने इशारा किया है। इससे पहले शहर में फैले पीलिया के पीछे भी वामपंथियों ने क्रप्शन को ही जिम्मेदार ठहराया था व उस मामले में कई अरेस्ट हुए थे। इसके बाद शहर के लिए स्वच्छ पानी के इंतजाम शुरू हुए थे। अब गिरी पेयजल योजना में, जहां से शहर को पानी सप्लाई आता है, में भी प्रारंभिक तौर पर भ्रष्टाचार के सबूत मिल रहे है। इस भ्रष्टाचार की परियोजना में जिसका अभी उदघाटन ही नहीं हुआ है, में पाइपें लीक हो गई है व वैल्डिंग करा कर लीकेज को रोकने का कांड किया जा रहा है।

नगर निगम के उप महापौर टिकेंद्र पंवर ने कहा कि पाइपों की बुरी स्थिति होने की वजह से निगम को एक किलोमीटर तक पाइपें बदलनी पड़ रही है। ये बड़ा स्कैम हैं। उन्होंने कहा कि छह सौ मीटर तक पाइपें बदल दी है। अक्तूबर के मध्य तक शहर में पानी की सप्लाई रोजाना कर दी जाएगी व उसके तीन महीने बाद 24 घंटों लोगों को पानी की सप्लाई सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने कहा कि पहले शिमला को पीने के पानी का इंतजाम कराया जाएगा उसके बाद गिरी के भ्रष्टाचारियों से निपटा जाएगा। उन्होंने कहा कि वहां पर 6.4 एमएम/एक्स 60 ग्रेड की पाइप बिछाई गई है जबकि 7.9 एमएम / 70 ग्रेड की पाइपें बिछनी थी। इस तरह अगर वामपंथियों ने इस मामले में भी एफआईआर दर्ज कर दी तो सता में रही धूमल व वीरभद्र सरकार के कई अफसरों व नेताओं की नींद हराम हो सकती है। इसके अलावा वामपंथियों ने वीरभद्र सिंह सरकार के शहरी विकास मंत्री सुधीर शर्मा पर भी हमला बोला है व कहा कि नगर निगम शिमला को मोदी सरकार से मिले जिस अवार्ड को लेने वो दिल्ली जा रहें वो नगर निगम की अपनी मेहनत के बल पर मिला है, जबकि वो नगर निगम को भंग करने के दावे कर रहे थे। उन्होंने सुधीर शर्मा का नाम लिए बगैर कहा कि एक बड़ा नेता जो दिल्ली में एमसी को मिल रहे अवार्ड को लेने जा रहा है वो नगर निगम को भंग करने की डींगे भर रहा था। उन्होंने व्यंग्य भी कसा कि जो बिंदु नगर निगम ने स्मार्ट सिटी में कंपीट करने के लिए भेजे थे, उन्हीं बिंदुओं को अमरुत प्रोजेक्ट के लिए भेजा था। स्मार्ट सिटी में धर्मशाला शुमार हो गई तो अमरुत में शिमला।

इसके अलावा अमरुत के लिए जो स्लिप योजना बनाई थी बगैर कंसलटेंट के बनाई थी क्योंकि कंसलटेंट को नियुक्त करने के लिए जो पैसा आया था उसे वीरभद्र सिंह सरकार ने निगम को दिया ही नहीं। सरकार ने पक्षपात पूर्ण रवैया अपनाया।

पंवर ने इल्जाम लगाया कि स्वच्छता अभियान को लेकर मोदी सरकार ने 12 करोड़ से ज्यादा का जो पैसा भेजा था उसमें से पांच करोड़ के करीब नगर निगम को मिलना था, लेकिन मंत्री सारा पैसा धर्मशाला ले जा रहे है। वो शहरी मंत्री न होकर धर्मशाला के मंत्री हो गए है।

नगर निगम शिमला इस वक्त शिमला मे पानी के संकट से जूझ रहा है इसमें कई तरह की दिक्कते हैं जिसमे बिजली की कमी और पानी की लीकेज का मुद्दा मुख्य है संलग्न चार्ट बिजली की आपूर्ति में व्यवधान के चलते पानी के पंप के बंद होने को दर्शाता है।

पिछले लगभग 30 दिनो से बिजली की लाइन मे दिक्कत के चलते गिरी से सही तरह से पानी नही उठाया जा सका है, बिजली विभाग को बिजली की आपूर्ति दुरुस्त करने के लिए बार-बार कहा जा रहा है। लगातार बिजली की आपूर्ति मे कट लग रहे है, जिसकी वजह से पानी को दोबारा लिफ्ट करने मे अतिरिक्त 2 घंटो का समय और लगता है और इस दौरान 1 एम एल डी पानी का नुकसान हो जाता है।

पंवर ने हैरतअंगेज दावा किया कि गिरी पेयजल योजना से कभी भी 8-10 एम एल डी से ज़्यादा पानी की आपूर्ति नही हुई है हालाँकि ये परियोजना 20 एम एल डी की क्षमता की है, ये नगर निगम शिमला को गली-सड़ी जंग लगी पाइपों और ख़त्म हो चुकी परियोजना का तोहफा है, इसे बदलने और सुधारने की ज़रूरत है इस योजना के सधार और इसे बढ़ाने हेतु 50 करोड़ रुपये से भी ज़्यादा की एक बड़ी राशि खर्च की जा रही है योजना के स्थल से एक किलोमीटर तक के गल चुकी पाइपों को बदलने के लिए 3.52 करोड़ की राशि खर्च की जा रही है।

पहले चरण में एक किलोमीटर मीटर की दो लाइन्स को बदला जा रहा है। इसी तरह अश्वनी खडड की पाइपों को भी बदलने की योजना है। इस पर 3.53 करोड़ की राशि खर्च की जाएगी, गुम्मा लाइन्स मे क्रेग नैनो से ढली तक 13.18 करोड़ की लागत से पाइप्स बदलने का कार्य किया जाएगा व संजौली से शिमला रिज स्थित पानी के भंडारण टैंक तक 2.68 करोड़ की लागत से पाइप्स को बदला जाना है।

उन्होंने कहा कि विश्व बैंक के 1000 करोड़ के अनुदान से स्थाई समाधान हो पाएगा।

सेंट्रल यूनिवर्सिटी शाहपुर में सजी युवा संसद, कालेधन, स्मार्ट सिटी पर घेरी सरकार

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी में सजी छात्र संसद में पक्ष व विपक्ष में जमकर घमासान हुआ। विपक्ष ने सतापक्ष को कालेधन, स्मार्ट सिटी, आदर्श ग्राम योजना और मेक इन इडिया अभियान जैसे मुद्दों पर सतापक्ष को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी।जबकि शून्यकाल में युवा सांसदों ने अनुच्छेद 370, गिलगिट और ब्लूचिस्तान पर प्रधानमंत्री की ओर से दिए ब्यानों और गऊरक्षकों की ओर से दलितों पर ढाए अत्याचारों को लेकर चर्चा की।

इस युवा संसद में आरएसएस के पूर्व स्वयसेवक व पूर्व भाजपा सांसद व हिमाचल आम आदमी पार्टी के पूर्व संयोजक राजन सुशांत ने देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल की सराहना करते हुए कहा कि बहुमत न होने पर वाजपेयी ने 13 दिनों के बाद पद से इस्तीफा दे दिया लेकिन जब वो दोबारा प्रधानमंत्री बने तो देश ने कई सफलताएं हासिल की। उन्होंने छात्र संसद में बताया कि लोकतंत्र में बहुमत का कितना महत्व है। उन्होंने छात्र संसद में पक्ष व विपक्ष के रूप में छात्रों की ओर से किए प्रदर्शन की सराहना की व कहा कि छात्रों ने असल सांसदों की तरह प्रदर्शन किया।

यहां यह उल्लेखनीय है कि आम आदमी पार्टी के नेता राजन सुशांत व सेंट्रल विवि के कुलपति प्रोफेसर कुलदीप चंद अग्निहोत्री आरएसएस के स्वयंसेवक रहे हैं। कुलपति अग्निहोत्री की आज भी आरएसएस में गहरी पैंठ है।

इस मौके पर चाणक्य नेशनल लॉयूनिवर्सिटी पटना के रजिस्ट्रार सुरेश प्रसाद सिंह और शाहपुर डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल कुलदीप कुमार बंटा ने भी शिरकत की।

गौरतलब हो कि शुक्रवार को विवि के परिसर में 13वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता के group level (1st Level Evalution) का आयोजन किया गया था। इस मुकाबले में सदन के छह सदस्यों को बेहतरीन प्रदर्शन के लिये सम्मानित किया गया। इनमें से चार सदस्य(छात्र)स्कूल ऑफ जर्नालिज्म, मास कम्यूनिकेशन एंड न्यूज मीडिया के और दो स्कूल ऑफ मैनेजमेंट से हैं। इन विजेता युवा सांसदों में युक्ती डड्वाल (स्पीकर), नेहा ठाकुर(वित मंत्री), सुरजीत(शहरी विकास मंत्री), सुनीधी (सदस्य), आदित्य यादव (सदस्य), स्नेहिल सूद (गृह मंत्री) शामिल है।

संसद की कार्यवाहियों से देश की युवा पीढ़ियों को अवगत कराने के लिए इस तरह की युवा संसदों का आयोजन करने की शुरूआत संसदीय कार्य मंत्रालय की ओर से की गई है।

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिंटर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाषः 0177-2805015, 94180-15015 फैक्सः 2805015

960 मैगावाट की जंगी थोपन पवारी परियोजना अन्तत:अदानी को देने का रास्ता तैयार

शिमला/शैल। 960 मैगावाट की जंगी-थोपन पवारी हाईडल परियोजना का आवंटन एक बार फिर सरकार के लिये एक बड़ी चुनौती बन गया है। क्योंकि रिलांयस इन्फ्रास्ट्रक्चर लि0 अचानक इससे पीछे हट गया है। जबकि रियांलय ने इसे हासिल करने के लिये 2009 से लेकर 2016 तक प्रदेश उच्च न्यायालय से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक एक लम्बी लड़ाई लड़ी है। रिलांयस क्यों पीछे हटा है और सरकार ने इसे पुन: विज्ञापित करने की बजाये इसे केन्द्र सरकार के उपक्रम को देने की संभावना तलाशने का फैसला क्यों लिया? यह सवाल प्रदेश के राजनीतिक और प्रशासनिक हल्कों में बेहद चर्चा का मुद्दा बन गया है। क्या प्रदेश की हाईडल नीति में फिर से परिवर्तन करने की आवश्कता आ गयी है? यह सवाल भी उठने लगा है क्योंकि वीरभद्र सरकार के इस कार्यकाल में हाईडल क्षेत्र में कोई भी बड़ा निवेशक नही आया है। इसी के साथ सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह बन गया है कि इस परियोजना को लेकर अब तक जो कुछ घट गया है उससे अदानी का आर्बिट्रेशन के माध्यम से अपने 280 करोड़ वसूलने का रास्ता बड़े बाबूओं ने सरल तो नहीं कर दिया? क्योंकि परियोजना के पूरे घटनाक्रम पर नजर दौड़ाने से यह स्पष्ट हो जाता है।

स्मरणीय है कि छ: हजार करोड़ की इस परियोजना के लिये 2006 में निविदायें आमन्त्रित की गयी थी। जो निविदायें आयी उनमें नीदरलैण्ड की कंपनी ब्रेकल एन वी की आफर सबसे बड़ी थी। रिलांयस इन्फ्रास्ट्रक्चर दूसरे स्थान पर थी और यह परियोजना ब्रेकल को दे दी गयी। परियोजना मिलने के बाद ब्रेकल को वान्छित अपफन्ट प्रिमियम सरकार में जमा करवाना था जिसे वह कई नोटिस दिये जाने पर भी जमा नही करवा पाया। इसी बीच रिलांयस ने ब्रेकल के दस्तावेजों में कुछ कमीयां पाकर इस आवंटन को प्रदेश उच्च न्यायालय में चुनौती दे दी । रिलांयस की याचिका के साथ ही सरकार में भी ब्रेकल के दस्तावेजों और दावों की जांच शुरू हो गयी और ब्रेकल के खिलाफ आपराधिक मामला तक दर्ज करने की नौबत तक आ गयी । सरकार ने ब्रेकल को आवंटन रद्द करने तक का नोटिस थमा दिया। लेकिन इसी बीच ब्रेकल ने अदानी से 280 करोड़ लेकर सरकार में जमा करवा दिये। अदानी ने ब्रेकल को पैसे देने के बाद उसमें हिस्सेदार होने के लिये भी आवदेन कर दिया। सरकार ने सारे मामले की पड़ताल करने के लिये सरकार के वरिष्ठ सचिवों की एक कमेटी गठित कर दी और जब कमेटी ने ब्रेकल को अपना पक्ष रखने के लिये आमन्त्रित किया तो उस बैठक में अदानी के प्रतिनिधि भी शामिल हो गये। जबकि उस समय अदानी ब्रेकल का अधिकारिक सदस्य नही था। लेकिन सचिव कमेटी ने अदानी के प्रतिनिधियों की उपस्थिति पर कोई एतराज नही उठाया। सचिव कमेटी ने अपनी पड़ताल के बाद परियोजना को ब्रेकल को ही देने का निर्णय ले लिया। सरकार ने इस फैसले को मानते हुए ब्रेकल के पक्ष में आवंटन कर दिया।

सरकार के इस फैसले को रिलायंस ने फिर चुनौती दे दी। उच्च न्यायालय ने दो टूक फैसला दिया कि या तो यह परियोजना रिलायंस को दी जाये या इसकी फिर से बोली लगाई जाये। लेकिन सरकार ने फिर इसे ब्रेकल को ही देने का निर्णय लिया। रिलायंस ने इसे सर्वोच्च न्यायालय मे चुनौती दे दी। रिलायंस के बराबर ही ब्रेकल भी सर्वोच्च न्यायालय में चला गया। ब्रेकल के साथ ही अदानी ने भी सर्वोच्च न्यायालय में एक अर्जी डालकर इसमें 280 करोड़ निवेश करने का पक्ष रख दिया। ब्रेकल और अदानी के सर्वोच्च न्यायालय में आने पर सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में यह कहा कि परियोजना में हुई देरी के लिये ब्रेकल को 2775 करोड़ के हर्जाने तथा अपफन्ट मनी को जब्त करने का नोटिस दिया गया है। सरकार का यह स्टैण्ड सामने आने के बाद ब्रेकल ने अपनी याचिका वापिस ले ली। ब्रेकल के साथ ही अदानी की याचिका भी समाप्त हो गयी । लेकिन यह होने के बाद भी सरकार ने ना तो ब्रेकल से जुर्माने के 2775 करोड़ बसूलने के लिये और न ही अपफन्ट मनी के 280 करोड़ जब्त करने के लिये कोई कदम उठाये।

ब्रेकल के सर्वोच्च न्यायालय से बाहर आने के बाद रिलायंस और सरकार में फिर कुछ घटा और यह परियोजना रिलायंस को देने का फैसला हो गया। इस फैसले के बाद रिलायंस को इस आश्य का पत्र भी चला गया। रिलायंस ने इसे स्वीकार भी कर लिया और सरकार को पत्र लिखकर परियोजना के लिये पर्यावरण से जुड़ी स्वीकृतियां भारत सरकार से हासिल करने का आग्रह भी कर दिया। इसके लिये रिलायंस को सर्वोच्च न्यायालय से अपनी याचिका वापिस लेनी थी। इसमें सरकार ने भी रिलायंस के साथ मिलकर यह सयुंक्त आग्रह करना था। पहले सरकार रिलायंस के साथ मिलकर सयुंक्त आग्रह के लिये तैयार थी परन्तु बाद में मुकर गयी। पर्यावरण से जुड़ी स्वीकृतियां हासिल करने में भी रिलायंस की मदद करने से इन्कार कर दिया। जब ब्रेकल सर्वोच्च न्यायालय से बाहर आया तो उसके बाद अदानी ने अपने 280 करोड़ वापिस किये जाने के लिये भी सरकार को पत्र लिखे। इन पत्रों का असर यह हुआ कि जब रिलायंस को यह प्रौजैक्ट देने का फैसला लिया गया तो उसमें मान लिया गया कि रिलायंस से अपफन्ट मनी मिलने पर अदानी का 280 करोड़ वापिस कर दिया जायेगा।

अब जब रिलायंस पीछे हट गया तो एक बार फिर अतिरिक्त मुख्य सचिव पावर ने निदेशक एनर्जी और कुछ अन्य संबंधित विभागों को पत्र लिखकर यह राय मांगी कि क्या इस परियोजना को फिर से ब्रेकल को दिया जा सकता है या इसकी दोबारा बोली लगायी जाये या केन्द्र सरकार या राज्य सरकार के किसी उपक्रम को दिया जाये। निदेशक पावर ने इसे केन्द्र सरकार के किसी उपक्रम के साथ संभावनाएं तलाशने का सुझाव दिया है। अब यह परियोजना किसे मिलती है यह तो आने वाला समय ही बतायेगा लेकिन अब पत्र लिखकर ब्रेकल को लेकर राय मांगने के पीछे क्या मंशा है? क्योंकि अब यह स्पष्ट हो चुका है कि प्रौजैक्ट के लिये ब्रेकल का अर्थ है अदानी। अदानी के दावे को कई बार रिकार्ड पर लाया जा चुका है। क्योंकि ब्रेकल ने अदानी से लेकर 280 करोड़ सरकार में जमा करवाये हैं। ब्रेकल ने अपनी वित्तिय स्थिति को लेकर जो दस्तावेज सौंपे थे उनकी प्रमाणिकता पहले ही संदिग्ध हो चुकी है अर्थात् ब्रेकल के पास अपने स्तर पर कोई पैसा नहीं है। अदानी ने ब्रेकल को 280 करोड़ दिया है यह कई बार रिकार्ड पर आ चुका है। कानून के जानकारो के मुताबिक इस सब से अदानी को आरबिट्रेशन में राहत मिलने के पुख्ता आधार बन चुके है। वैसे भी यदि केन्द्र का कोई उपक्रम तैयार नही होता है तो फिर राज्य सरकार के उपक्रमों की बारी आती है। सरकार और उसके उपक्रमों की स्थिति वैसे ही अच्छी नही है। ऐसे में अन्तत: ब्रेकल-अदानी के पक्ष मे फैसला लेने का रास्ता आसान हो जाता है। क्योंकि जब सरकार को अदानी के 280 करोड़ वापिस करने की स्थिति आयेगी तो उस स्थिति में यह परियोजना ही अदानी को देने का फैसला लेना ही ज्यादा बेहतर विकल्प बन जाता है। वैसे भी पिछले दिनों मुख्यमन्त्री के एक निकटस्थ नौकरशाह और अदानी के बीच हुई बातचीत की रिकार्डिंग चर्चा में रह चुकी है। अब अतिरिक्त मुख्य सचिव पावर ने जिस तरीके से पत्र लिखकर ब्रेकल के बारे में राय पूछी है उससे भी यही संकेत उभरते हैं।

टेनेंसी एवम भू-सुधार

कृषक परिभाषा को लेकर सरकार ने वापिस लिया फैसला

शिमला/शैल। भू अधिनियम 1972 की धारा 118 के तहत हिमाचल प्रदेश में कोई भी गैर हिमाचल और हिमाचली गैर कृषक प्रदेश में सरकार की अनुमति के बिना भूमि नहीं खरीद सकता है। लेकिन इसी अधिनियम की धारा 2 की उपधाराओं को 2, 4, 5 और 10 में कृषक कौन है स्वयं काश्त क्या है परिवार में कौन कौन आता है और भू मालिक कौन है यह सब परिभाषित किया गया है। इसके मुताबिक यह है It was clarified vide earlier clarification dated 30th April, 2002 that " Under Section 2(2) agriculturist is a person who cultivates land personally in an estate situated in Himachal Pradesh and in terms of section 2 (4) (iii) "to cultivate personally" also includes by the Labour of any member of the family. In terms of section 2(5) family 'means husband his wife and their children including step or adopted children etc.' The word " Land owner" as defined in section 2(10) means a person defined as such in HP Land Revenue Act, 1954 and shall include the predecessor or successor in interest of the land owner from the combined reading of Sub-sections (2) ,(4), (5) and (10) of section 2 of the Act ibid, it is clear that a husband who is successor in interest of his wife and being member of the family also falls in the expression "to cultivate personally" is an agriculturist for the purpose of section 118 of the Act in question and no permission a s required by saidsection is necessary.

इसके अनुसार पति, पत्नी में से यदि एक हिमाचली और कृषक हैं और दूसरा गैर हिमाचली है तो परिवार की परिभाषा के तहत गैर हिमाचली को भी हिमाचली कृषक होने का दर्जा हासिल हो जायेगा और वह भी सरकार के अनुमति के बिना प्रदेश में जमीन खरीदने का हकदार हो जायेगा। लेकिन बहुत सारे राजस्व अधिकारी इस संद्धर्भ में पूरी तरह स्पष्ट नही थे और ऐसे मामले स्पष्टीकरण के लिये सरकार को भेज दिये जाते थे। ऐसे मामलों के आने पर सरकार में इस पर विचार हुआ। सरकार में हुए विस्तृत विचार विर्मश के बाद 30 अप्रैल 2002 को इस संद्धर्भ में स्पष्टीकरण जारी किया गया और कहा गया कि ऐसे मामलों में सरकार से धारा 118 के तहत अनुमति लेने की आवश्यकता नही है। लेकिन 2002 में जारी हुए इस स्पष्टीकरण को 24.5.2010 को यह कहकर वापिस ले लिया गया कि इसका अनुचित लाभ उठाया जा रहा है।

इसके बाद इस वर्ष फिर इस पर यह कहकर पुनर्विचार हुआ कि 24.5.2010 को 2002 में जारी हुए स्पष्टीकरण को वापिस लेने के बाद भी ऐसे मामले सरकार के पास आ रहे हैं। इस पर सरकार में विचार हुआ और विधि विभाग से भी राय ली गयी। क्योंकि सरकार के संज्ञान में ऐसे मामले आये थे जहां पर हिमाचली कृषक लड़कियों के साथ गैर हिमाचली ने शादी की और परिवार की परिभाषा के आधार पर अपने नाम पर जमीन खरीद ली। ऐसी जमीन खरीद से यह भी हिमाचली कृषक हो गये। लेकिन कुछ समय बाद तलाक ले लिया और तलाक लेने के बाद भी हिमाचली कृषक बने रहे। विधि विभाग की राय और सरकार में हुए विचार विमर्श के बाद 20.5.2016 को फिर 2002 में जारी हुए स्पष्टीकरण को यथास्थिति बनाए रखने का स्पष्टीकरण जारी हो गया। 20 मई को जारी हुए स्पष्टीकरण को 8 सितम्बर को फिर वापिस ले लिया गया है। लेकिन इस बार जो पत्र जारी हुआ है उसमें इसे Kept in abeyance रखा गया है जबकि पहले पूरी तरह withdraw किया जाता था।

टेनेन्सी एंवम भू-सुधार अधिनियम 1972 प्रदेश विधानसभा द्वारा पारित है। इसमें दर्ज सारी परिभाषाएं सदन से पारित है इनमें कोई भी संशोधन सदन की अनूमति के बिना नही हो सकता। परिवार की परिभाषा में पति-पत्नी को बराबर के अधिकार प्राप्त है। उसमें हिमाचली या गैर हिमाचली, कृषक या गैर कृषक का कोई अलग से प्रावधान नही किया गया है। प्रदेश में हजारों ऐसे लोग है जो कई पीढीयों से प्रदेश में रह रहे हैं। लेकिन उन्हें कृषक का दर्जा हासिल नही है वह सरकार की अनुमति के बिना जमीन नही खरीद सकते हैं जिन्हे अब प्रदेश उच्च न्यायलय ने राहत देते हुए सरकार से इस अधिनियम में 90 दिनों के भीतर संशोधन करने को कहा है। ऐसे में जब सरकार के सामने परिवार को लेकर शादी के माध्यम से कृषक होने और फिर तलाक होने के मामले सामने आये हैं तो उसमें भी सरकार को संशोधन लाकर ऐसे लोगों से कृषक का अधिकार वापिस लेने का प्रावधान करना चाहिये। अन्यथा ऐसे स्पष्टीकरण जारी करने और फिर उन्हें वापिस लेने से समस्या का हल नही निकाला जा सकता है।